



सत्यमेव जयते

# वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2020-2021

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
Airports Economic Regulatory Authority of India












# वार्षिक रिपोर्ट 2020-21









## भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

### 1. प्रस्तावना

श्री नरेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की। यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत गठित सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना सरकार की दिनांक 12.05.2009 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 317 (ई) द्वारा की गई। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।

### 2. प्राधिकरण के प्रमुख अधिकारियों का प्रोफाइल



#### (क) श्री बलविंदर सिंह भुल्लर, अध्यक्ष

श्री बलविंदर सिंह भुल्लर ने 8 जुलाई, 2019 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।

श्री भुल्लर, अमृतसर, पंजाब से हैं और उनका शैक्षिक कैरियर असाधारण है। बी.एससी (ऑनर्स) और कृषि विज्ञान में एम.एससी करने के पश्चात, वे 1986 में उत्तर प्रदेश काडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए।

उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में आईएस अधिकारी के रूप में श्री भुल्लर ने प्रशासन, उद्योग, वित्त, विद्युत, शहरी विकास, परिवहन, नागर विमानन आदि क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार में उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट- गाजियाबाद और कानपुर नगर; नगरपालिका आयुक्त, वाराणसी; उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में संयुक्त प्रबंध निदेशक; सचिव, सिंचाई और जल संसाधन; परिवहन एवं वित्त विभागों के प्रधान सचिव; चतुर्थ उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के सदस्य आदि के रूप में काम किया। भारत सरकार में उन्होंने 13वें केंद्रीय वित्त आयोग में संयुक्त सचिव; वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में संयुक्त सचिव; नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अपर सचिव के रूप में और अंत में मई, 2019 में सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होने से पूर्व नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) के रूप में कार्य किया।



#### (ख) श्री सुब्रत सामंता, सदस्य

श्री सुब्रत सामंता ने दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) में सदस्य का पद ग्रहण किया। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री प्राप्त की है और वे भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के सदस्य हैं।

श्री सुब्रत सामंता भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) में कार्य ग्रहण करने से पूर्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यपालक निदेशक (जेवीसी/टैरिफ) के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 1985 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यग्रहण किया था और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अपने कार्यकाल के दौरान



वित्त और वाणिज्यिक विभागों में कई जिम्मेदार पदों पर रहे। वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में टैरिफ प्रभाग और संयुक्त उद्यम मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी भी रहे।

श्री सामंता ने 1985 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अपने कैरियर की शुरुआत की और उन्हें विमानन क्षेत्र में लगभग 32 वर्ष का अनुभव है। उन्हें हवाई अड्डा क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन, हवाईअड्डों के टैरिफ निर्धारण और हवाईअड्डा क्षेत्र में पी.पी.पी. परियोजना के अनुवीक्षण (मॉनीटर) का व्यापक अनुभव और जानकारी है।



(ग) श्री सुधीर रहेजा, सदस्य

श्री सुधीर रहेजा, देहली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं, उन्होंने 02 जुलाई, 2018 को ऐरा के सदस्य के रूप में कार्य ग्रहण किया। श्री रहेजा को इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र का व्यापक अनुभव है तथा वे एशियाड (एएसआईएडी)-82 इंडोर स्टेडियम, दिल्ली और गुरुग्राम स्थित मारुति कार विनिर्माण सुविधा सहित विभिन्न प्रतिष्ठापूर्ण परियोजनाओं से संबद्ध रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1988 में कोलकाता हवाईअड्डे पर कार्यपालक अभियंता (सिविल) के रूप में कार्य ग्रहण कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अपना 30 वर्ष का लंबा प्रतिष्ठित कैरियर शुरू किया और उसके बाद इंजीनियरिंग, सतर्कता और परियोजना अनुवीक्षण तथा गुणवत्ता आश्वासन जैसे विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान की। श्री रहेजा सदस्य (योजना) के रूप में फरवरी, 2010 से जून, 2018 में उनकी अधिवर्षिता तक एएआई बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य रहे। उनके संपूर्ण कार्यकाल के दौरान उन्हें विभिन्न पहचान और सम्मान प्रदान किए गए। श्री रहेजा ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल), मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) और कैम्पेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बंगलुरु (बीआईएएल) के बोर्ड के सदस्य के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया है; साथ ही वे हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों तथा एएआई की संयुक्त उद्यम कंपनी, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (सीएचआईएल) के बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं।


श्री रहेजा 15 जून, 2020 को 62 वर्ष की आयु होने पर प्राधिकरण के सदस्य के पद से सेवानिवृत्त हो गए।





### 3. संगठनात्मक स्वरूप

प्राधिकरण का संगठनात्मक स्वरूप नीचे दर्शाया गया है:



ऐरा के स्टाफ में विमानन और वित्त क्षेत्र में अनुभव प्राप्त विभिन्न केंद्रीय, राज्य सेवाओं और विभागों/संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी/कर्मचारी हैं। वार्षिक रिपोर्ट की अवधि में ऐरा में अध्यक्ष, सदस्य और सचिव सहित कुल 27 अधिकारी/कर्मचारी थे।

### 4. विनियम का दायरा

4.1 अधिनियम में निर्धारित किए अनुसार प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

- (क) वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण करना
- (ख) प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि निर्धारित करना
- (ग) वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के तहत वसूले जाने वाले पीएसएफ की राशि निर्धारित करना
- (घ) सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करना, जो केन्द्रीय सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

4.2 ऐरा, हवाईअड्डा सुविधाओं में सुधार के लिए वहन किए जाने के लिए अपेक्षित पूंजीगत व्यय, इन सुविधाओं में समय पर निवेश, ऐसे निवेशों पर उचित मुनाफा प्रदान करने तथा हवाईअड्डों पर सफल और लाभप्रद प्रचालनों का अनुरक्षण/बढ़ोत्तरी करने की लागत को ध्यान में रखकर सभी वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करता है। प्राधिकरण वैमानिक सेवाओं से भिन्न



सेवाओं से प्राप्त राजस्व की मात्रा पर भी विचार करता है और केंद्रीय सरकार द्वारा किसी भी करार या समझौता ज्ञापन में या अन्यथा दी गई रियायत, यदि कोई हो, और टैरिफ निर्धारण के लिए सुसंगत किसी अन्य तथ्य को भी ध्यान में रखता है।

4.3 हाल ही में ऐरा अधिनियम, 2008 को "ऐरा (संशोधन) अधिनियम 2019" द्वारा संशोधित किया गया है, जो दिनांक 26.09.2019 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा लागू हुआ है। इसमें "प्रमुख हवाईअड्डों" की परिभाषा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

"ऐसा कोई भी हवाईअड्डा, जहां से हर वर्ष साढ़े तीन मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं या जो हवाईअड्डा इतनी यात्रा के लिए निर्दिष्ट है या अन्य कोई भी ऐसा हवाईअड्डा, जिसके बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा प्रमुख हवाईअड्डे के रूप में उल्लेख करे"।

इसके अतिरिक्त धारा 13 (1ए) में निम्नलिखित सम्मिलित किया गया :-

"उप-धारा (1) और (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण सभी हवाईअड्डों या उनके भाग के संबंध में टैरिफ या टैरिफ संरचना या विकास शुल्क की राशि निर्धारित नहीं करेगा, यदि ऐसी टैरिफ या टैरिफ संरचना या विकास शुल्क की राशि उस बाध्यकारी दस्तावेज में सम्मिलित की गई है, जिसके आधार पर उस हवाईअड्डे को प्रचालित करने का कार्य दिया गया है:

परन्तु यह भी कि उक्त बाध्यकारी दस्तावेज में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित टैरिफ, टैरिफ संरचनाओं या विकास शुल्क की राशि के संबंध में प्राधिकरण से अग्रिम रूप से परामर्श किया जाएगा और ऐसे टैरिफ, टैरिफ संरचनाओं या विकास शुल्क की राशि को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा"।

4.4 ऐरा (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा यथासंशोधित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (i) के प्रावधान या नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उक्त प्रावधान के तहत अधिसूचित किए अनुसार निम्नलिखित हवाईअड्डों को "प्रमुख हवाईअड्डे" माना गया है:-

1. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली
2. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई
3. कैपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बंगलुरु
4. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद
5. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि
6. चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चंडीगढ़
7. चेन्नै अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चेन्नै
8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता
9. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद
10. त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरुवनंतपुरम
11. चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ
12. जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर
13. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी
14. कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोझीकोड
15. गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा



16. पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पुणे
17. जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना
18. गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर
19. लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी
20. बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, भुवनेश्वर
21. स्वामी विवेकानन्द हवाईअड्डा, रायपुर
22. तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरुचिरापल्ली
23. मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलूरु
24. कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कन्नूर

## 5. प्राधिकरण द्वारा जारी टैरिफ आदेश

01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि में ऐरा ने हवाईअड्डों और वैमानिक सेवाओं के विनियमन के लिए अपने दृष्टिकोण के आधार पर निम्नलिखित आदेश जारी किए:-

### हवाईअड्डा प्रचालक

क्र.सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
1.	आदेश संख्या 54/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2020 से 31.03.2025) के लिए स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर (आरपीआर) के लिए वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	18.12.2020
2.	आदेश संख्या 55/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2020 से 31.03.2025) के लिए तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (टीआरजेड), के संबंध में वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के संबंध में।	22.12.2020
3.	आदेश संख्या 56/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2019 से 31.03.2024) के लिए श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एटीक्यू), अमृतसर के लिए वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के संबंध में।	24.12.2020
4.	आदेश संख्या 57/2020-21	तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2019 से 31.03.2024) के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली (डीईएल) के लिए वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	30.12.2020
5.	आदेश संख्या 59/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2019 से 31.03.2024) के लिए लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (वीएनएस), वाराणसी के लिए वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	31.12.2020
6.	आदेश संख्या 64/2020-21	तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2019 से 31.03.2024) के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई (बीओएम) के लिए वैमानिक टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	27.02.2021

**ईंधन श्रृपुट प्रभार (एफटीसी के बदले प्रतिकर)**

क्र.सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
7.	आदेश संख्या 05/2020-21	कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु में ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	19.05.2020
8.	आदेश संख्या 06/2020-21	कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	19.05.2020
9.	आदेश संख्या 07/2020-21	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	19.05.2020
10.	आदेश संख्या 10/2020-21	एएआई गोवा हवाईअड्डे (सिविल एन्कलेव) पर ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	12.06.2020
11.	आदेश संख्या 11/2020-21	एएआई पुणे हवाईअड्डे (सिविल एन्कलेव) पर ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	12.06.2020
12.	आदेश संख्या 12/2020-21	एएआई विशाखापट्टनम हवाईअड्डे (सिविल एन्कलेव) पर ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	12.06.2020
13.	आदेश संख्या 17/2020-21	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	01.07.2020
14.	आदेश संख्या 18/2020-21	जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर (जेआईए) में ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	01.07.2020
15.	आदेश संख्या 20/2020-21	लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोइ (एलजीबी) अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी में ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	01.07.2020
16.	आदेश संख्या 21/2020-21	कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कालीकट (सीआईए) में ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	01.07.2020
17.	आदेश संख्या 22/2020-21	चेन्नै अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नै में ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	02.07.2020
18.	आदेश संख्या 23/2020-21	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एनएससीबीआई), कोलकाता में ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	02.07.2020
19.	आदेश संख्या 24/2020-21	चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमौसी, लखनऊ (सीसीएसआईए) ईंधन श्रृपुट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	02.07.2020



20.	आदेश संख्या 25/2020-21	त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरुवनन्तपुरम (टीवीएम) में ईंधन श्रृपुट प्रभागों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	02.07.2020
21.	आदेश संख्या 26/2020-21	बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (बीबीआई), भुवनेश्वर में ईंधन श्रृपुट प्रभागों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	09.07.2020
22.	आदेश संख्या 27/2020-21	कोयम्बटूर हवाईअड्डे पर ईंधन श्रृपुट प्रभागों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	09.07.2020
23.	आदेश संख्या 28/2020-21	देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाईअड्डा (आईडीआर), इन्दौर में ईंधन श्रृपुट प्रभागों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	09.07.2020
24.	आदेश संख्या 29/2020-21	जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (पीएटी), पटना में ईंधन श्रृपुट प्रभागों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	09.07.2020
25.	आदेश संख्या 32/2020-21	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, नागपुर में ईंधन श्रृपुट प्रभागों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	21.08.2020
26.	आदेश संख्या 33/2020-21	चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (सिविल एन्कलेव) में ईंधन श्रृपुट प्रभागों के बदले प्रतिकर के प्रावधान के मामले में।	27.08.2020

#### आईएसपी (ग्राउंड हैंडलिंग)

क्र.सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
27.	आदेश संख्या 03/2020-21	मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21) के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव और वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	13.05.2020
28.	आदेश संख्या 08/2020-21	मैसर्स एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) के संबंध में कैपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बेंगलूर में कॉर्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21) के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	28.05.2020
29.	आदेश संख्या 01/2020-21	मैसर्स केरला स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (केएसआईईएल) की द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2016 से 31.03.2021) के चौथे और पांचवें टैरिफ वर्ष (01.04.2019 से 31.03.2020 और 01.04.2020 से 31.03.2021) के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के मामले में।	03.04.2020

30.	आदेश संख्या 02/2020-21	मैसर्स देहली कार्गो सर्विस सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएससी) के संबंध में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 04.10.2018 के आदेश संख्या 22/2018-19 के माध्यम से ऐरा द्वारा यथा निर्धारित टैरिफ के विनियमितीकरण के लिए अनुमोदन।	06.05.2020
31.	आदेश संख्या 16/2020-21	चैन्ने अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्ने के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2019 से 31.03.2024) के लिए कार्गो हैंडलिंग और कूरियर कार्गो हैंडलिंग सेवा प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड एलायड सर्विसेस कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	29.06.2020
32.	आदेश संख्या 34/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के लिए जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना में कार्गो सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
33.	आदेश संख्या 35/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के लिए पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
34.	आदेश संख्या 36/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के लिए श्री गुरु रामदासजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
35.	आदेश संख्या 37/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के लिए बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (बीबीआई), भुवनेश्वर में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
36.	आदेश संख्या 38/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के लिए गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लाजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020



37.	आदेश संख्या 39/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोइ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
38.	आदेश संख्या 40/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के लिए जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
39.	आदेश संख्या 41/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के लिए चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
40.	आदेश संख्या 42/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के लिए त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
41.	आदेश संख्या 43/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के लिए लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	01.09.2020
42.	आदेश संख्या 45/2020-21	प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के लिए मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विस कंपनी लिमिटेड के लिए टैरिफों के निर्धारण के मामले में।	17.09.2020
43.	आदेश संख्या 60/2020-21	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलायड सर्विसेस कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एनएससीबी), कोलकाता में 01.04.2019 से 31.03.2024 तक की प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ के निर्धारण के मामले में।	31.12.2020

### विस्तार के लिए अंतरिम व्यवस्था

क्र.सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
44.	आदेश संख्या 04/2020-21	कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 24.03.2020 के आदेश संख्या 33/2019-20 के मामले में-प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मौजूदा टैरिफों की वसूली को जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	13.05.2020
45.	आदेश संख्या 09/2020-21	कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 03.01.2020 के आदेश संख्या 20/2019-20 के मामले में-द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 30.06.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	01.06.2020
46.	आदेश संख्या 13/2020-21	देहली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल) द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 20.03.2020 के आदेश संख्या 31/2019-20 के मामले में-तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 30.06.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	18.06.2020
47.	आदेश संख्या 14/2020-21	हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 26.02.2020 के आदेश संख्या 28/2019-20 के मामले में-प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 30.06.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	18.06.2020
48.	आदेश संख्या 15/2020-21	द्वितीय नियंत्रण अवधि के पांचवें टैरिफ वर्ष के लिए 31.07.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए इंडियन ऑयल स्काईटैकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसएल) द्वारा दिल्ली हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली इंटोप्लेन सेवाओं के विनियमन संबंधी दिनांक 19.09.2018 के आदेश संख्या 19/2018-19 के मामले में।	25.06.2020
49.	आदेश संख्या 19/2020-21	द्वितीय नियंत्रण अवधि के पांचवें टैरिफ वर्ष के लिए 31.07.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए भारत स्टार्स सर्विसेस (देहली) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिल्ली हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली इंटोप्लेन सेवाओं के विनियमन संबंधी दिनांक 27.09.2018 के आदेश संख्या 20/2018-19 के मामले में।	01.07.2020
50.	आदेश संख्या 30/2020-21	मैसर्स सीएससी को अंतरराष्ट्रीय कूरियर कार्गो (अंतरिम आधार पर) का संचालन करने के लिए टैरिफ के अनुमोदन के मामले में।	31.07.2020



51.	आदेश संख्या 31/2020-21	कार्गो सुविधा वाले वैमानिक सेवा प्रदाता के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 26.09.2019 के आदेश संख्या 08/2019-20 के मामले में-द्वितीय नियंत्रण अवधि (अहमदाबाद में जीएसईसी, कार्गो)के लिए 31.03.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	13.08.2020
52.	आदेश संख्या 44/2020-21	कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड(कायल) द्वारा किए जाने वाले कार्गो प्रचालनों के आर्थिक विनियमन के मामले में-कार्गो सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ आदेश	03.09.2020
53.	आदेश संख्या 46/2020-21	कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले हवाईअड्डा प्रचालकों और स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 20 मार्च, 2020 के आदेश संख्या 30/2019-20, दिनांक 18 जून, 2020 के 13/2020-21, दिनांक 18 जून, 2020 के 14/2019-20, दिनांक 24.03.2020 के 33/2019-20 और दिनांक 18.12.2018 के 36/2018-19 के मामले में- संगत नियंत्रण अवधि के लिए 30.09.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	29.09.2020
54.	आदेश संख्या 47/2020-21	मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (मायल) पर ईंधन श्रृपट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान संबंधी दिनांक 19.05.2020 के आदेश संख्या 07/2020-21 के मामले में- 30.09.2020 के बाद मौजूदा "प्रति लैंडिंग तदर्थ प्रभार" की वसूली जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था	08.10.2020
55.	आदेश संख्या 48/2020-21	हवाईअड्डा प्रचालक, अदानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 29.09.2020 के आदेश संख्या 46/2020-21 द्वारा मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संबंध में मौजूदा टैरिफों की वसूली 31.10.2020 से 31.03.2021 तक या प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफों का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था के मामले में।	29.10.2020
56.	आदेश संख्या 49/2020-21	02.11.2020 से 31.03.2021 तक हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 16.02.2018 के आदेश संख्या 37/2018-19 और दिनांक 02.07.2020 के आदेश संख्या 24/2020-21 द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय (सीसीएसआई) हवाईअड्डा, लखनऊ के संबंध में मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने की व्यवस्था के मामले में।	29.10.2020

57.	आदेश संख्या 50/2020-21	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसएमआईए), मुम्बई में कूरियर कार्गो सेवाओं संबंधी दिनांक 31.07.2020 के आदेश संख्या 30/2020-21 द्वारा मैसर्स सीएससी के संबंध में 31.10.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने की अंतरिम व्यवस्था के मामले में।	29.10.2020
58.	आदेश संख्या 51/2020-20	चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय (सीसीएसआई) हवाईअड्डा, लखनऊ में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए अदानी लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (एएलआईएल) के संबंध में मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने की व्यवस्था के मामले में	04.11.2020
59.	आदेश संख्या 52/2020-21	हवाईअड्डा प्रचालक, अदानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएल) द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 23.07.2018 के आदेश संख्या 14/2018-19, दिनांक 01.07.2020 के आदेश संख्या 17/2020-21 और दिनांक 14.11.2018 के आदेश संख्या 27/2018-19 द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद के संबंध में मौजूदा टैरिफों (वैमानिक प्रभार और अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग प्रभार) की वसूली 07.11.2020 से 31.03.2021 तक जारी रखने की व्यवस्था के मामले में।	06.11.2020
60.	आदेश संख्या 53/2020-21	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसएमआईए), मुम्बई में कूरियर कार्गो सेवाओं संबंधी दिनांक 29.10.2020 के आदेश संख्या 50/2020-21 द्वारा मैसर्स कार्गो सर्विस सेन्टर (सीएससी) के संबंध में 30.11.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने की अंतरिम व्यवस्था के मामले में।	27.11.2020
61.	आदेश संख्या 58/2020-21	कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले हवाईअड्डा प्रचालकों/स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 29.09.2020 के आदेश संख्या 46/2020-21 और दिनांक 27.11.2020 के आदेश संख्या 53/2020-21 के मामले में-संगत नियंत्रण अवधि के लिए 31.12.2020 के बाद मौजूदा टैरिफों की वसूली जारी रखने की अंतरिम व्यवस्था।	30.12.2020
62.	आदेश संख्या 61/2020-21	मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (मायल) पर ईंधन श्रुपट प्रभारों के बदले प्रतिकर के प्रावधान संबंधी दिनांक 08.10.2020 के आदेश संख्या 74/2020-21 के मामले में-मौजूदा "प्रति लैंडिंग तदर्थ प्रभार" की वसूली 31.12.2020 के बाद जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	13.01.2021



63.	आदेश संख्या 62/2020-21	कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले हवाईअड्डा प्रचालकों/स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 30.12.2020 के आदेश संख्या 58/2020-21 और दिनांक 13.01.2020 के 61/2020-21 के मामले में-मौजूदा टैरिफ की वसूली संगत नियंत्रण अवधि के लिए 31.01.2021 के बाद जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	29.01.2021
64.	आदेश संख्या 63/2020-21	मुम्बई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (मायल) पर वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 29.01.2021 के आदेश संख्या 62/2020-21 के मामले में-तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 15.02.2021 के बाद एफटीसी बंद करने के बदले "प्रति लैंडिंग तदर्थ प्रभार" सहित मौजूदा वैमानिक टैरिफ की वसूली जारी रखने की अंतरिम व्यवस्था।	15.02.2021
65.	आदेश संख्या 65/2020-21	बैंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, चंडीगढ़, चैन्ने, कोलकता, पुणे, गोवा, कालीकट, गुवाहाटी, त्रिवेन्द्रम, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु हवाईअड्डों के लिए अगली नियंत्रण अवधि के लिए लंबित टैरिफ निर्धारण के कारण 01.04.2021 से 30.09.2021 तक मौजूदा टैरिफों को तदर्थ आधार पर बढ़ाना।	24.03.2021
66.	आदेश संख्या 66/2020-21	ऐरा द्वारा मंजूर की गई राशि के संग्रहण की कमी को पूरा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में परियोजना/मैट्रो कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) वसूल करने की अवधि बढ़ाना-01.04.2021 से 31.03.2022 तक डीएफ की वसूली की अवधि बढ़ाना।	24.03.2021
67.	आदेश संख्या 67/2020-21	विभिन्न हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग/ग्राउंड हैंडलिंग/ विमान में ईंधन की आपूर्ति की सेवाएं प्रदान करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए मौजूदा टैरिफ तदर्थ आधार पर 01.04.2021 से 30.09.2021 तक बढ़ाना।	25.03.2021
68.	आदेश संख्या 68/2020-21	एचआईएल द्वारा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय (आरजीआई) हवाईअड्डा, हैदराबाद में नई अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का अनुमोदन-01.04.2021 से 30.09.2021 तक की अवधि के लिए लागू।	30.03.2021

## 6. निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण

ऐरा के प्रमुख कार्यों में से एक "सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित उन निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करना है, जो केंद्र सरकार या इसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।" बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों के लिए संबंधित रियायत करारों में सेवा मानक निर्धारित किए गए हैं।

प्राधिकरण वर्तमान में हवाईअड्डों पर निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करने के लिए हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा नियुक्त विभिन्न एजेंसियों जैसे एसीआई, स्काईट्रैक्स आदि द्वारा दी गई रेटिंग पर विश्वास करता है।

## 7. ऐरा में न्यायालयी मामले

ऐरा द्वारा जारी किए गए विभिन्न टैरिफ आदेशों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण में तैंतीस (33) मामले लंबित हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान आठ(08) नए मामले दर्ज किए गए और आठ(08) मामलों का निपटारा किया गया है। दिनांक 31.03.2021 तक लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	न्यायालय/अधिकरण	मामलों की संख्या
1.	दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी)	20
2.	भारत का उच्चतम न्यायालय	09
3.	उच्च न्यायालय, दिल्ली	02
4.	उच्च न्यायालय, कर्नाटक	02
	<b>कुल मामले</b>	<b>33</b>

## 8. प्रशासनिक और स्थापना मामले

### (क) नए अधिकारियों द्वारा कार्यग्रहण

सचिव एवं उप प्रमुख के पदों पर अनुभवी एवं अर्हता प्राप्त अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर कार्य ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप प्राधिकरण के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

### (ख) सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए ऐरा द्वारा सभी प्रयास किए गए। हिंदी में काम करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्राधिकरण में महापुरुषों की जयंती एवं राष्ट्रीय पर्वों पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें विजेताओं को विभिन्न पुरस्कार प्रदान करने के अतिरिक्त हिंदी की पुस्तकों का वितरण भी किया गया।

इसके अतिरिक्त दिनांक 14 से 30 सितम्बर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, इन प्रतियोगिताओं में 59 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए चार (04) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़-चढ़कर भाग लिया।

वर्ष के दौरान ऐरा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन (03) बैठकें प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गईं। प्राधिकरण में सरकार की हिन्दी प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 4 कर्मिकों को कुल 12000/- रूपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

ऐरा का दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को संसदीय राजभाषा समितिद्वारा राजभाषायी निरीक्षण किया गया। समिति ने प्राधिकरण द्वारा हिंदी में किए जा रहे कार्य की सराहना की और इसे संतोषजनक बताया।

**(ग) महिला कल्याण जिसमें जैन्डर बजटीय आंकड़े भी शामिल हैं:**

ऐरा में 12 महिला अधिकारी/कर्मचारी हैं, जिनमें केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात महिलाएं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लोन पर तैनात और ऑउट-सोर्स आधार पर सहायक स्टाफ के रूप में कार्यरत महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यालय परिसर में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

**(घ) जन शिकायत निवारण व्यवस्था:**

प्राधिकरण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल में पंजीकृत है और शिकायतों का निवारण निर्धारित समय के भीतर किया जाता है।

**(ङ.) प्रदूषण नियंत्रण:**

प्राधिकरण हवाईअड्डों पर पर्यावरण अनुकूल उपायों जैसे सौर/नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण, पानी की रिसाइक्लिंग आदि को प्रोत्साहित करता है।

**(च) दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व:**

प्राधिकरण केवल प्रतिनियुक्ति आधार पर ही ऐरा के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती करता है और इस कारण से आरक्षण नीति सीधे तौर पर लागू नहीं है। तथापि ऐरा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के काफी अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं।

**(छ) दिव्यांगों के लिए सुविधाएं:**

ऐरा ने अपना भवन एयर इंडिया से किराए पर लिया हुआ है, दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए भवन में रैंप और सपोर्ट हैंडल, जिनसे वे आसानी से भवन में प्रवेश कर सकते हैं और शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। ऐरा वेबसाइट दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक है।

**(ज) प्रमुख उपलब्धियां**

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ऐरा ने छः (06) प्रमुख हवाईअड्डों के लिए टैरिफ निर्धारित की। इनमें से दिल्ली (हवाईअड्डा प्रचालक, डीआईएएल) और मुम्बई (हवाईअड्डा प्रचालक, एमआईएएल) स्थित संयुक्त उद्यम वाले हवाईअड्डों के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए दो (02) टैरिफ आदेश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत निजीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित वाराणसी, अमृतसर, रायपुर और त्रिची के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रबंध किए जा रहे चार (04) हवाईअड्डों को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रमुख हवाईअड्डों के रूप में अधिसूचित किया गया तथा ऐरा को इनकी प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए इन हवाईअड्डों के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए कहा गया।

भारत सरकार ने जनवरी, 2020 में देश के सभी हवाईअड्डों से ईंधन श्रृंखला प्रभार (एफटीसी) समाप्त कर दिया है। ऐरा ने सभी प्रमुख हवाईअड्डों के लिए समाप्त किए गए एफटीसी के बदले अतिरिक्त लैंडिंग प्रभार/ यूडीएफ के रूप में प्रतिपूरक प्रभार निर्धारित किए और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 20 टैरिफ आदेश जारी किए।



रिपोर्ट की अवधि में प्राधिकरण ने विभिन्न प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और ईंधन आपूर्ति (कार्गो हैंडलिंग-18, ग्राउंड हैंडलिंग-02 और ईंधन आपूर्ति-02) सेवाएं प्रदान करने वाले 22 स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए भी टैरिफ निर्धारित की।

ऐरा ने दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों के लिए उनकी निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में ईक्रिटी की लागत, कार्यक्षम प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत निर्धारित करने तथा परिसंपत्ति आबंटन के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं और परामर्शदाताओं के माध्यम से स्वतंत्र अध्ययन भी किए।

## 9. बजट

ऐरा सरकार के सहायता अनुदान के माध्यम से अपने लिए निधियन प्राप्त करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऐरा ने नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से 10.48 करोड़ रूपए प्राप्त किए। ऐरा अपनी सेवाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लगाता/वसूल नहीं करता।

## 10. विनियामक पक्ष-समर्थन और प्रयोक्ताओं के हित का संरक्षण

प्राधिकरण के पदाधिकारी ऐरा की विनियामक प्रकृति के कार्यों और गतिविधियों के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए सेमिनार/कार्यशालाओं में भाग लेते हैं। ऐरा अन्य विनियामक प्राधिकरणों के विकासों की जानकारी के लिए विनियामक फोरम में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है।

## 11. क्षमता निर्माण

प्राधिकरण अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कार्य से संबंधित विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार (संगोष्ठी)/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और नामित करता है।

## 12. लेखा और लेखा परीक्षा

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आय और व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र संलग्न हैं।
















# वार्षिक लेखा विवरण 2020-21







भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के  
31.03.2021 के तुलन पत्र का वित्तीय विवरण

			(राशि- रूपए)
कॉर्पस/पूँजीगत निधि और देनदारियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्पस/पूँजीगत निधि	1	-17,428,394.48	-16,655,293.00
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	33,982,354.00	37,108,883.00
<b>कुल</b>		<b>16,553,959.52</b>	<b>20,453,590.00</b>
<b>परिसंपत्ति</b>			
अचल परिसंपत्ति	8	50.00	21.00
निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश	9	-	-
निवेश – अन्य	10	-	-
मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि विविध व्यय (बट्टे खातों में डाले जाने या समायोजित नहीं किए जाने तक)	11	16,553,909.52	20,453,569.00
<b>कुल</b>		<b>16,553,959.52</b>	<b>20,453,590.00</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों संबंधी टिप्पणियां	25		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की ओर से

नाम: कर्नल मनु सूदन

पदनाम: सचिव



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का वित्तीय विवरण

(राशि- रूपए)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>आय</b>			
विक्रय/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	103,556,548.00	108,800,000.00
फीस/सदस्यता शुल्क	14	-	-
निवेश से आय	15	-	-
(निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर आय निधि में अंतरित)		-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	83,960.00	-
अन्य आय	18	21,355.00	79,161.00
परिष्कृत माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
<b>कुल (क)</b>		<b>103,661,863.00</b>	<b>108,879,161.00</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना खर्च	20	46,126,509.48	35,111,538.00
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	21	58,308,455.00	60,089,935.00
मूल्यहास	8		
अनुदान और आर्थिक सहायता पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	--
<b>कुल (ख)</b>		<b>104,434,964.48</b>	<b>95,201,473.00</b>
व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क-ख)		(773,101.48)	13,677,688.00
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		-	-
सामान्य आरक्षित से/में अंतरण		-	-
कॉर्पस/पूंजीगत निधि में ले जाया गया अधिशेष के रूप में शेष/(घाटा)		(773,101.48)	13,677,688.00
<b>महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां</b>	24		
<b>आकस्मिक देयताएं और खातों संबंधी टिप्पणियां</b>	25		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की ओर से

नाम: कर्नल मनु सूदन

पदनाम: सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2021 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	(राशि- रूपए)	
				चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. अथ शेष			1. खर्च		
क) नकद शेष			क) स्थापना खर्च (अनुसूची 20 के अनुरूप)	40,169,261.48	27,447,896.00
ख) बैंक में जमा राशि			ख) प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 21 के अनुरूप)	59,127,220.00	61,520,394.00
i) चालू खातों में (अनुसूची-11)	18,964,014.00	7,853,499.00			
ii) जमा खातों में			विक्रेता/कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान	52,000.00	827,171.00
iii) बचत खातों में					
ii) प्राप्त अनुदान			iii) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के बदले किए गए भुगतान (परियोजना के लिए निधि का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दिखाया जाना चाहिए)		
क) भारत सरकार से (अनुसूची-13)	104,800,000.00	108,800,000.00			
ख) राज्य सरकार से					
ग) अन्य स्रोतों से (व्यौरा) (पूँजी और राजस्व खर्च के लिए अनुदान अलग दिखाए जाएं)					
iii निम्न से निवेशों पर आय			iii) किए गए निवेश और जमा		
क) निर्धारित/अक्षय निधियों से			क) निर्धारित/अक्षय निधियों में से		
ख) अपनी निधियों से (अन्य निवेश)			ख) अपनी निधियों में से (निवेश-अन्य)		
iv) प्राप्त ब्याज			iv) स्थायी परिसंपत्तियों और चल रहे पूँजीगत कार्यों पर व्यय		
क) बैंक में जमा राशि पर	73,727.00		क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	1,243,452.00	1.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ख) चल रहे पूँजीगत कार्यों पर व्यय		
			ग) निधि के अन्य प्रदाता		
v) अन्य आय (अनुसूची-18)	21,355.00	79,161.00	v) अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
			क) भारत सरकार को		
			ख) राज्य सरकार को		
			ग) अन्य निधि प्रदाताओं को		
			vi) वित्त प्रभार		
vi) उधार ली गई राशि			vii) अन्य भुगतान (उल्लेख करें)		
			क) शुल्क और कर	8,984,398.00	7,973,184.00
vii) कोई अन्य प्राप्तियां	790,857.00		viii) अंत शेष		
			क) नकद शेष		
			ख) बैंक में जमा राशि (अनुसूची-11)		
			i) चालू खातों में	-376,546.00	18,964,014.00
			ii) जमा खातों में	15,450,167.52	
			iii) बचत खातों में		
कुल	124,649,953.00	116,732,660.00	कुल	124,649,953.00	116,732,660.00

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की ओर से  
नाम: कर्नल मनु सूदन  
पदनाम: सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 1 - कॉर्पस/पूँजीगत निधि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष		-16,655,293.00	-30,332,981.00
जोड़ें : कॉर्पस/पूँजीगत निधि में अंशदान		-	-
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखे से अंतरित निवल आय/ (व्यय) की शेष राशि		-773,101.48	13,677,688.00
<b>वर्ष के अंत में शेष राशि</b>		<b>-17,428,394.48</b>	<b>-16,655,293.00</b>

अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>1. आरक्षित पूँजी</b>			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
<b>2. पुनर्मूल्यांकन की गई आरक्षित</b>			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
<b>3. विशेष आरक्षित</b>			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
<b>4. सामान्य आरक्षित</b>			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
<b>कुल</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



(राशि- रूपए)			
अनुसूची 3 – निर्धारित/अक्षय निधि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) निधियों का अथशेष		-	-
(ख) निधियों में परिवर्धन			
(i) दान / अनुदान		-	-
(ii) निधियों के कारण किए गए निवशों से आय		-	-
(iii) अन्य परिवर्धन		-	-
<b>कुल (क+ख)</b>		-	-
(ग) निधियों का उपयोग			
(i) पूंजीगत व्यय		-	-
- अचल परिसंपत्तियां		-	-
- अन्य		-	-
<b>कुल</b>			
(ii) राजस्व व्यय		-	-
- वेतन, मजूदरी और भत्ते आदि		-	-
- किराया		-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय		-	-
<b>कुल</b>			
<b>कुल (ग)</b>		-	-
<b>वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)</b>		-	-

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)			
3. वित्तीय संस्थाएं		-	-
क) आवधिक ऋण		-	-
ख) उपार्जित और देय ब्याज		-	-
4. बैंक :			
क) आवधिक ऋण उपार्जित और देय ब्याज		-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) उपार्जित और देय ब्याज		-	-
5. अन्य संस्थाएं और एंजेंसियां		-	-
6. डिबेंचर और बांड		-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 5 :- असुरक्षित ऋण और उधार	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		-	-
4. बैंक :			
क) आवधिक ऋण		-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		-	-
5. अन्य संस्थाएं और एंजेंसियां		-	-
6. डिबेंचर और बांड		-	-
7. सावधि जमा		-	-
8. अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 6 :- आस्थगित ऋण देनदारियां	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों के रेहन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		-	-
ख) अन्य		-	-
कुल		-	-

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 7 :- मौजूदा देयताएं और प्रावधान	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) मौजूदा देयताएं			
1. स्वीकृतियां		-	-
2. विविध लेनदार:			
क) माल के लिए		-	-
ख) अन्य	1	7,519,625.00	7,216,543.00
3. प्राप्त अग्रिम		-	-
4. निम्नलिखित पर ब्याज, उपार्जित परंतु देय नहीं:			
क) सुरक्षित ऋण/उधार		-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार		-	-
5. सांविधिक देयताएं:			
क) अति देय		-	-
ख) अन्य	2	637,345.00	-
6. अन्य मौजूदा देयताएं	3	1,058,751.00	75,150.00
7. आस्थगित अनुदान आय (देखें: पाद टिप्पणी)		29.00	
<b>कुल (क)</b>		<b>9,215,750.00</b>	<b>7,291,693.00</b>
(ख) प्रावधान			
1. कराधान के लिए		-	-
2. उपदान		-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन		-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण		-	-
5. व्यापार वारंटी/दावे		-	-
6. अन्य	4	24,766,604.00	29,817,190.00
<b>कुल (ख)</b>		<b>24,766,604.00</b>	<b>29,817,190.00</b>
<b>कुल (क+ख)</b>		<b>33,982,354.00</b>	<b>37,108,883.00</b>

पाद टिप्पणी

वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,243,452.00	-
वर्ष के दौरान परिशोधित और स्थायी परिसंपत्तियों के साथ मिलाया गया अनुदान	1,243,423.00	-
वर्ष के अंत में अंतशेष	29.00	-



**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण**  
**31.03.2021 को तुलन पत्र की अनुसूचियां**

अनुसूची-8

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यहास				नियत ब्लाक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
<b>क. स्थायी परिसंपत्ति</b>										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीजहोल्ड भूमि पर	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/ परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) संस्था से असंबद्ध भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.संयंत्र मशीनरी और उपस्कर	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, फिक्सचर	3.00	2.00	-	5.00	-	-	-	-	5.00	3.00
6. कार्यालय उपस्कर	8.00	4.00	-	12.00	-	-	-	-	12.00	8.00
7. कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	8.00	9.00	-	17.00	-	-	-	-	17.00	8.00
8 इलेक्ट्रिक संस्थापन	-	14.00	-	14.00	-	-	-	-	14.00	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. टयूबवेल और पानी की आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थायी परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल	21.00	29.00	-	50.00	-	-	-	-	50.00	21.00
पिछले वर्ष	20.00	1.00	-	21.00	-	-	-	-	21.00	21.00
<b>ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर</b>		-	-							
कुल	21.00	29.00	-	50.00	-	-	-	-	50.00	21.00

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 9 :- निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बांड		-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य (उल्लेख किया जाए)		-	-
<b>कुल</b>		-	-

अनुसूची 10 : निवेश - अन्य	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बांड		-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य (उल्लेख किया जाए)		-	-
<b>कुल</b>		-	-

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 11 : मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) मौजूदा परिसंपत्तियां			
1. वस्तु सूची (इन्वेंट्री):			
क) स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे		-	-
ख) खुले औजार		-	-
ग) स्टॉक इन ट्रेड			
परिष्कृत माल			
परिष्कृत किया जा रहा माल		-	-
कच्चा माल		-	-
2. विविध देनदार			
क) छह माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण		-	-
ख) अन्य		-	-
3. नकद शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)		-	-
4. बैंक में जमा राशि:			
क) अनुसूचित बैंकों में			
चालू खातों में		-376,546.00	18,964,014.00
जमा खातों में (मार्जिन राशि शामिल)		15,450,167.52	-
बचत खातों में		-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में			
चालू खातों में		-	-
जमा खातों में (मार्जिन राशि शामिल)		-	-
बचत खातों में		-	-
5. डाकघर बचत खाते		-	-
कुल (क)		15,073,621.52	18,964,014.00



	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां</b>			
<b>1. ऋण :</b>			
क) स्टाफ		-	-
ख) उस संस्था के समान गतिविधियों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)			
<b>2. प्राप्त किए जा सकने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियां</b>		-	-
क) पूंजी खातों पर (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)		-	-
ख) पूर्व अदायगी		-	-
ग) अन्य	5	1,480,288.00	1,489,555.00
<b>3. उपार्जित आय :</b>			
क) निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर		-	-
ख) निवेश पर - अन्य		-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर		-	-
घ) अन्य (प्राप्त न हुई देय आय सहित रू.....)		-	-
<b>4. वसूली योग्य दावा:</b>		-	-
<b>कुल (ख)</b>		1,480,288.00	1,489,555.00
<b>कुल (क+ख)</b>		<b>16,553,909.52</b>	<b>20,453,569.00</b>

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे की अनुसूचियां

(राशि-रूपए)

अनुसूची 12 :- बिक्री/सेवाओं से आय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय			
क) तैयार माल की बिक्री		-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री		-	-
ग) रद्दी माल की बिक्री		-	-
2. सेवाओं से आय			
क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार		-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्शदात्री सेवाएं		-	-
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली		-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		-	-
ड) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

अनुसूची 13 :- अनुदान/आर्थिक सहायता	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान और प्राप्त आर्थिक सहायता)			
1) केन्द्रीय सरकार (देखें: पाद-टिप्पणी)		103,556,548.00	108,800,000.00
2) राज्य सरकार (सरकारें)		-	-
3) सरकारी एजेंसियां		-	-
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		-	-
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन		-	-
6) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		103,556,548.00	108,800,000.00

पाद टिप्पणी

केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और आर्थिक सहायता  
वर्ष के दौरान खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियां  
निवल अनुदान

104,800,000.00	108,800,000.00
1,243,452.00	-
103,556,548.00	108,800,000.00

अनुसूची 14 :- शुल्क/अभिदान	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) प्रवेश शुल्क		-	-
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान		-	-
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		-	-
4) जी.पी.एफ. अंशदान		-	-
5) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2021 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची - 15 निवेशों से आय (निर्धारित निधि में अंतरित अक्षय निधि से निवेश पर आय)	निर्धारित निधि से निवेश		अन्य निवेश	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-		
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-		
2. लाभांश				
क) शेयर पर	-	-		
ख) म्यूचल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-		
3. किराया	-	-		
4. अन्य (उल्लेख करें)	-	-		
कुल	-	-		

निर्धारित/अक्षय निधि में अंतरित



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे  
की अनुसूचियां

अनुसूची 16 : रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) रॉयल्टी से आय		-	-
2) प्रकाशनों से आय		-	-
3) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
<b>कुल</b>		-	-

(राशि- रूपए)

अनुसूची 17 : अर्जित ब्याज	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा राशियों पर			
क) अनुसूचित बैंकों में		83,960.00	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) संस्थाओं में		-	-
घ) अन्य		-	-
2. बचत खातों पर			
क) अनुसूचित बैंकों में		-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) डाकघर बचत खाता			
घ) अन्य		-	-
3. ऋणों पर			
क) कर्मचारी/स्टाफ		-	-
ख) अन्य		-	-
4. देनदार और प्राप्त करने योग्य अन्य राशियों पर ब्याज		-	-
<b>कुल</b>		83,960.00	-

अनुसूची 18 : अन्य आय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:			
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		-	-
ख) अनुदान से अर्जित या मुफ्त में प्राप्त परिसंपत्तियां		-	-
2. प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन		-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	6	21,355.00	79,161.00
4. विविध आय		-	-
<b>कुल</b>		21,355.00	79,161.00

**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण**  
**31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे**  
**की अनुसूचियां**

अनुसूची 19 : परिष्कृत माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम स्टॉक			
- परिष्कृत माल		-	-
- तैयार किया जा रहा माल		-	-
ख) घटाएं – आरंभिक स्टॉक		-	-
- परिष्कृत माल		-	-
- तैयार किया जा रहा माल		-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)		-	-

अनुसूची 20 : स्थापना खर्च	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	7	46,126,509.48	35,111,538.00
ख) भत्ते और बोनस		-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान		-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (उल्लेख करें)		-	-
ड.) स्टाफ कल्याण खर्च		-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर खर्च			
छ) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
<b>कुल</b>		<b>46,126,509.48</b>	<b>35,111,538.00</b>

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे  
की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 21 : अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. खरीद		-	-
ख. श्रम और प्रसंस्करण खर्च		-	-
ग. दुलाई और माल भाड़ा		-	-
घ. बिजली और ऊर्जा		2,137,404.00	1,711,579.00
ड. पानी प्रभार		-	-
च. बीमा		-	-
छ. मरम्मत और अनुरक्षण		2,420,997.00	15,930.00
ज. उत्पाद शुल्क		-	-
झ. किराया, दर और कर		10,521,364.00	10,521,361.00
ञ. वाहन चालन और अनुरक्षण खर्च		-	-
ट. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार		420,023.00	777,782.00
ठ. मुद्रण तथा लेखन सामग्री		437,673.00	146,572.00
ड. यात्रा और वाहन खर्च		542,921.00	824,700.00
ढ. संगोष्ठी/कार्यशाला पर खर्च		-	-
ण. अभिदान खर्च		100,000.00	400,000.00
त. शुल्क पर खर्च		-	-
थ. लेखापरीक्षकों का पारिश्रामिक		300,000.00	797,758.00
द. आतिथ्य खर्च		71,085.00	603.00
ध. व्यावसायिक प्रभार		15,560,587.00	9,628,973.00
न. अशोध्य और संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान		-	
प. बट्टे खाते में डाली गई वसूल न किए जाने योग्य शेष राशि		-	
फ. माल भाड़ा और अग्रेषण खर्च		-	
ब. वितरण खर्च		-	
भ. विज्ञापन और प्रचार		428,240.00	2,521,003.00
म. अन्य	8	25,368,161.00	32,743,674.00
<b>कुल</b>		<b>58,308,455.00</b>	<b>60,089,935.00</b>



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे  
की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 22 : अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता		-	-
कुल		-	-

अनुसूची 23 : ब्याज	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) सावधि ऋणों पर		-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

## भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण

### 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के खातों की अनुसूचियां

#### अनुसूची -24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### 1. लेखांकन परंपरा

जब तक कि अन्यथा न बताया जाए और लेखांकन की पद्धति में न कहा जाए, वित्तीय विवरण पुरानी लागत परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

#### 2. वस्तु सूची मूल्यांकन

2.1 सामान और अतिरिक्त पुर्जों (मशीनरी के अतिरिक्त पुर्जों सहित) का लागत पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

2.2 कच्चा माल, अर्द्ध परिष्कृत माल और परिष्कृत माल का कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। लागतें परिष्कृत माल और अर्द्ध परिष्कृत माल की भारित औसत लागत पर आधारित होती हैं और इनका निर्धारण सामग्री, श्रम और संबंधित ऊपरी खर्च को ध्यान में रखकर किया जाता है।

#### 3. निवेश

3.1 “दीर्घावधिक निवेश” के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी से भिन्न कमी का प्रावधान, ऐसे निवेशों की लागत को शामिल कर किया जाता है।

3.2 “चालू” के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य संबंधी कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग रूप में किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली, अंतरण स्टॉप जैसे अधिग्रहण के खर्च शामिल हैं।

#### 4. उत्पाद शुल्क लागू नहीं

#### 5. स्थायी परिसंपत्ति

5.1 स्थायी परिसंपत्तियां सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से खरीदी जाती हैं। लेखांकन मानक 12 के अनुसार, ऐसे अनुदानों को पूंजीगत अनुदान समझा जाता है। परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के समय इनका अंकित मूल्य निकालकर परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से अनुदानों को घटाया जाता है। जब अनुदान परिसंपत्ति की लागत के बराबर होता है तब परिसंपत्ति को 1 रुपए के नाममात्र के मूल्य पर तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

5.2 गैर-मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थायी परिसंपत्ति को (कॉर्पस निधि से भिन्न) आरक्षित पूंजी के लिए तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा निर्धारित मूल्य पर पूंजी में परिणत किया जाता है।

#### 6. मूल्यहास

6.1 सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्ति पर कोई मूल्यहास प्रभावित नहीं किया जाता।

6.2 आयकर अधिनियम की दरों के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रभावित किया जाता है और तदनुरूपी अनुदान को आरक्षित पूंजी से होने वाली आय और व्यय के खाते में भी डाला जाता है। 5,000/- रुपए या इससे कम की लागत वाली परिसंपत्तियों का अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।

## 7. विविध खर्च

आस्थगित राजस्व व्यय को इसे वहन किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है।

## 8. बिक्री के लिए लेखांकन लागू नहीं

## 9. सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता

- 9.1 परियोजना स्थापन की पूंजीगत लागत के लिए योगदान स्वरूप वाले सरकारी अनुदानों को आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है।
- 9.2 अधिग्रहित की गई विशिष्ट स्थायी परिसंपत्ति संबंधी अनुदानों को संबंधित परिसंपत्ति की लागत से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।
- 9.3 सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता प्राप्ति के आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

## 10. विदेशी मुद्रा लेन देन

- 10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन, मुद्रा के लेन-देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर लेखांकित किए जाते हैं।
- 10.2 वर्तमान परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। परिणामी लाभ/हानि को स्थायी परिसंपत्ति की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा देयता स्थायी परिसंपत्ति से संबंधित है, और अन्य मामले में राजस्व के लिए मानी जाती है।

## 11. पट्टा (लीज)

1,05,21,364.00 रूपए के लीज भुगतान चालू वर्ष के आय और व्यय लेखा में प्राप्त किए गए।

## 12. सेवानिवृत्ति लाभ

- 12.1 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) स्टाफ की नियुक्ति “भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक कर्मचारी (पदों की संख्या एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2011” के अनुसार केन्द्र सरकार/ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वतशासी निकायों में कार्यरत कर्मिकों में से विशुद्ध रूप से प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा आधार पर करता है। ऐरा अपने कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस कारण से ऐरा की बहियों में ऐसे लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 12.2 कर्मचारियों के लिए संचित छुट्टी के नगदीकरण के लाभ की व्यवस्था की जाती है और इसका परिकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ के आधार पर किया जाता है।

स्थान : नई दिल्ली

नाम: कर्नल मनु सूदन  
पदनाम: सचिव



## भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण

\*\*\*\*\*

### 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के खातों की अनुसूचियां

#### अनुसूची 25- आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं  
ऋण के रूप में कंपनी के विरुद्ध दावे/विवादित मांगें प्राप्त नहीं हुई:  
एएआई के लिए वेतन की प्रतिपूर्ति रूपए 11,61,68,597
2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं  
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली में डीजीसीए, बीसीएस, एएआईबी और ऐरा के संयुक्त प्रचालनात्मक कार्यालयों के निर्माण के संबंध में पूंजीगत प्रतिबद्धता के कारण ऐरा की हिस्सेदारी 18.38 करोड़ रूपए है।
3. लीज दायित्व :  
संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्त लीज व्यवस्थाओं के अंतर्गत किराए के लिए भावी दायित्वों की राशि शून्य रूपए है।
4. वर्तमान परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम:  
प्रबंधन की राय में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों का मूल्य कारोबार की सामान्य अवधि में प्राप्त किया जाने वाला मूल्य होता है और यह तुलन पत्र में दर्शाई गई कम से कम करार की गई राशि के बराबर होता है।
5. कराधान:  
आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई भी आय कर योग्य नहीं है, इसलिए आयकर का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया।
6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

	<u>चालू वर्ष</u>	<u>पिछला वर्ष</u>
6.1 सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य - परिष्कृत माल की खरीद - कच्चा माल और उपस्कर - पूंजीगत माल - स्टोर, अतिरिक्त पुर्जे और उपभोग्य वस्तुएं	शून्य	शून्य

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

क) यात्रा	शून्य	शून्य
ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को प्रेषण और ब्याज की अदायगी	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा में	शून्य	शून्य
ग) अन्य व्यय	शून्य	शून्य
- बिक्री पर कमीशन	शून्य	शून्य
- विधिक और व्यावसायिक खर्च	शून्य	शून्य
- विविध खर्च	शून्य	शून्य

6.3 आय:

एफओबी पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य
---------------------------	-------	-------

6.4 सीएजी लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखा परीक्षकों के लिए	3,00,000.00	3,00,000.00
- कराधान मामले		
- प्रबंधन सेवाओं के लिए		
- प्रमाणीकरण के लिए		
अन्य	शून्य	शून्य

7. पिछले वर्ष के तदनुरूपी (Corresponding) आंकड़ों का आवश्यकतानुसार पुनः समूह बनाया गया/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
8. संलग्न 1 से 25 तक की अनुसूचियां दिनांक 31.3.2021 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय के खाते का अभिन्न भाग हैं।

स्थान : नई दिल्ली

नाम: कर्नल मनु सूदन  
पदनाम: सचिव

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण  
तुलन पत्र के संलग्नक

(राशि रूपए)		
संलग्नक : 1 विविध लेनदार	चालू वर्ष (20-21)	पिछला वर्ष (19-20)
विमानपत्तन प्राधिकरण मरम्मत एवं अनुरक्षण	7,519,595.00	7,181,863.00
एमटीएनएल	30.00	30.00
श्री दिग्विजय राय	-	34,650.00
<b>कुल</b>	<b>7,519,625.00</b>	<b>7,216,543.00</b>
(राशि रूपए)		
संलग्नक : 2 सांविधिक देयताएं	चालू वर्ष (20-21)	पिछला वर्ष (19-20)
टीसीएस	-	-
सीजीएसटी जीएसटी टीडीएस @ 1%	30,759.00	-
आईजीएसटी जीएसटी टीडीएस @ 2%	74,931.00	-
एसजीएसटी जीएसटी टीडीएस @ 1%	30,759.00	-
टीडीएस 192ए	57,543.00	-
टीडीएस 194सी	26,522.00	-
टीडीएस 194आई	111,455.00	-
टीडीएस 194 जे	305,376.00	-
<b>कुल</b>	<b>637,345.00</b>	<b>-</b>
(राशि रूपए)		
संलग्नक : 3 अन्य चालू देयताएं	चालू वर्ष (20-21)	पिछला वर्ष (19-20)
सुरक्षा जमा	1,053,751.00	70,150.00
कॉपीयर मैटेनेंस कॉर्पोरेशन (ईएमडी)	5,000.00	5,000.00
<b>कुल</b>	<b>1,058,751.00</b>	<b>75,150.00</b>
(राशि रूपए)		
संलग्नक : 4 प्रावधान (अन्य)	चालू वर्ष (20-21)	पिछला वर्ष (19-20)
एडवोकेट पी.सी.सेन	-	3,245,000.00
पेंशन एवं वेतन प्रावधान	1,800,000.00	2,200,000.00
व्यावसायिक शुल्क प्रावधान	2,552,578.00	8,634,695.00
एएमसी के लिए प्रावधान	120,323.00	488,650.00
एएआई वाहन का प्रावधान	2,393,000.00	2,393,000.00
लेखा परीक्षा शुल्क का प्रावधान	600,000.00	300,000.00
वाहन भाड़े पर लेने का प्रावधान	72,456.00	30,450.00
गृह प्रबंधन खर्च के लिए प्रावधान	60,430.00	24,726.00
बाहरी स्रोत से कार्मिक लेने के लिए प्रावधान	7,523,821.00	7,451,914.00
संपत्ति कर ऐरा	1,500,000.00	1,500,000.00
बिजली एवं पावर के लिए प्रावधान	2,137,404.00	-
मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए प्रावधान	2,009,758.00	-
अन्य खर्चों के लिए प्रावधान	197,715.00	-
वेतन खर्च के लिए प्रावधान	3,394,119.00	3,170,755.00
सीईए के लिए प्रावधान	405,000.00	378,000.00
<b>कुल</b>	<b>24,766,604.00</b>	<b>29,817,190.00</b>
(राशि रूपए)		
संलग्नक : 5 अग्रिम और नकद या अन्य प्रकार से वसूली योग्य अन्य राशियां	चालू वर्ष (20-21)	पिछला वर्ष (19-20)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	755,671.00	755,671.00
श्री बी एस भुल्लर	45,000.00	-
जतिन लाम्बा	-	20,000.00
कर्मचारियों के लिए त्यौहार अग्रिम	7,000.00	-
अरूण कुमार	-	35,000.00
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	541,645.00	541,645.00



एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	120,739.00	120,739.00
स्रोत पर काटा गया कर (आईसीआईसीआई से वसूली योग्य)	10,233.00	-
राजू कुमार	-	16,500.00
<b>कुल</b>	<b>1,480,288.00</b>	<b>1,489,555.00</b>

(राशि रूपए)

<b>संलग्नक : 6 विविध सेवाओं के लिए शुल्क</b>	<b>चालू वर्ष (20-21)</b>	<b>पिछला वर्ष (19-20)</b>
पोस्टल ऑर्डर	10.00	10.00
आरटीआई शुल्क	-	10.00
पुराने फर्नीचर और रद्दी माल की बिक्री	-	24,172.00
अन्य आय	-	29,969.00
सामान्य भविष्य निधि अंशदान	-	25,000.00
लैपटाप की बिक्री	21,345.00	-
<b>कुल</b>	<b>21,355.00</b>	<b>79,161.00</b>

(राशि रूपए)

<b>संलग्नक : 7 वेतन और पारिश्रमिक</b>	<b>चालू वर्ष (20-21)</b>	<b>पिछला वर्ष (19-20)</b>
वेतन खर्च	38,203,568.48	28,841,719.00
एनपीएस के लिए कर्मचारियों का अंशदान	2,666,215.00	2,438,823.00
पेंशन और छुट्टी वेतन	1,255,728.00	2,200,000.00
चिकित्सा खर्च	897,473.00	461,789.00
छुट्टी यात्रा रियायत प्रभार (एलटीसी)	551,368.00	386,874.00
सीपीएफ में नियोक्ता का अंशदान	676,597.00	257,518.00
बकाया वेतन	595,065.00	163,715.00
मकान किराया भत्ता	147,168.00	131,808.00
मानदेय	133,000.00	120,000.00
बोनस	62,172.00	62,172.00
नियोक्ता का पेंशन का अंशदान	213,614.00	46,437.00
छुट्टी नकदी	724,541.00	683.00
<b>कुल</b>	<b>46,126,509.48</b>	<b>35,111,538.00</b>

(राशि रूपए)

<b>संलग्नक : 8 अन्य प्रशासन खर्च</b>	<b>चालू वर्ष (20-21)</b>	<b>पिछला वर्ष (19-20)</b>
एएमसी प्रभार	2,031,994.00	2,069,938.00
वाहन भाड़े पर लेने के लिए संविदा	739,429.00	365,400.00
यात्रा खर्च	7,588.00	2,215.00
पेशगी राशि	134,459.00	244,722.00
इंटरनेट और डेटा प्रभार	101,048.00	8,165.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	99,977.00	155,441.00
ओई - (खर्च)	21,044,544.00	28,239,999.00
कार्यालय खर्च	875,572.00	1,477,383.00
पेंटी खर्च	45,935.00	43,660.00
जलपान खर्च	-	14,639.00
संसदीय राजभाषा समिति	264,820.00	-
प्रशिक्षण कार्यक्रम	22,795.00	122,112.00
<b>कुल</b>	<b>25,368,161.00</b>	<b>32,743,674.00</b>

### 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 35(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा), नई दिल्ली के उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने की है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों और प्रस्तुत करने के मानदंडों आदि के अनुरूप वर्गीकरण के संबंध में केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य और नियमितता) और कार्यकुशलता तथा कार्य निष्पादन के पहलुओं आदि, यदि कोई हो, का अनुपालन करने के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती हैं।
3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम इस बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं कि इन वित्तीय विवरणों में कोई तात्त्विक गलतबयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में उन्हें दर्शाया जाना शामिल है। इस लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का निर्धारण करना और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारे मत के लिए उपयुक्त आधार दिया गया है।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:
  - (i) हमने सभी प्रकार की ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।
  - (ii) इस रिपोर्ट के लिए देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में तैयार किया गया है।
  - (iii) हमारी राय में, ऐसी लेखा बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 35(1) के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा उचित लेखा बहियों और अन्य संबद्ध रिकॉर्डों का रखरखाव किया गया है।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि:

क) तुलन पत्र

समग्र/पूँजीगत निधि और देयताएं

चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची -7) -	3.40 करोड़ रूपए
प्रावधान -	2.48 करोड़ रूपए

(क) उपर्युक्त में ऐरा में लोन आधार पर कार्यरत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के कार्यपालक और गैर-पालक कर्मचारियों के संबंध में वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए 31 मार्च, 2021 को एएआई को देय 11.62 करोड़ रूपए की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 11.62 करोड़ रूपए के इस वर्ष के प्रावधान और व्यय को विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) ऐरा ने संयुक्त प्रचालनात्मक कार्यालय के निर्माण के लिए एएआई, ऐरा और अन्य के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (24 नवम्बर, 2016) के संदर्भ में एएआई को देय 11.03 करोड़ रूपए की देयता को दर्ज नहीं किया है। इस कारण से वर्ष 2020-21 के लिए 11.03 करोड़ रूपए की चालू देयता और जारी पूँजीगत कार्य विवरण में शामिल नहीं है।

ख) सहायता अनुदान :

वर्ष 2020-21 के दौरान ऐरा को नागर विमानन मंत्रालय से 10.48 करोड़ रूपए का कुल अनुदान प्राप्त हुआ। ऐरा के पास 1 अप्रैल, 2020 को 1.75 करोड़ रूपए के अनुदान की अप्रयुक्त शेष राशि थी। इस 12.23 करोड़ रूपए के कुल अनुदान में से ऐरा 2020-21 के दौरान केवल 11.02 करोड़ रूपए ही खर्च कर सका और 1.21 करोड़ रूपए की अप्रयुक्त राशि शेष बची (आंकड़े प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है)।

(v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट के लिए देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा, खाता बहियों के अनुसार हैं।

(vi) हमारे विचार में तथा हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण तथा ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामले इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मुद्दों के अधीन भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा ये सही एवं स्पष्ट स्थिति को दर्शाते हैं।

क) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति का तुलन पत्र 31 मार्च, 2021 से संबंधित है; और

ख) यह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के घाटे के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और  
उनकी ओर से

ह/-

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24 नवम्बर, 2021

(रिना अकोइजम)  
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (अवसंरचना)  
नई दिल्ली



**(वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक)**

**1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता**

2020-21 की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

**2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता**

लेखापरीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियां देखी गई थी जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है:

- (i) 21,345 रूपए की परिसंपत्ति का निपटान बहियों में हिसाब में नहीं लिया गया।
- (ii) सृजित 23.93 लाख रूपए की पुरानी देयता/ प्रावधानों की समीक्षा नहीं की गई और इन्हें पर्याप्त ढंग से हिसाब में नहीं दिखाया गया।
- (iii) अतिरिक्त प्रावधान को लेखाओं (अर्थात 31 मार्च, 2021 के बाद की अवधि के लिए) में किया गया है।
- (iv) कर की छूट के लिए बैंक को निर्धारित फॉर्म में प्रस्तुत न करने के साथ-साथ टीडीएस की राशि वापस लेने के लिए कर प्राधिकरण से दावा न करना।

**3. स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

**4. वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**

कोई वस्तु सूची नहीं है।

**5. सांविधिक देय राशि की अदायगी में नियमितता**

सांविधिक देय राशि समय पर अदा की गई थी।

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उनकी टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

पैरा संख्या	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	HM No	प्राधिकरण का जवाब															
क	<p>तुलन पत्र समग्र/पूँजीगत निधि और देयताएं चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7) - 3.40 करोड़ रूपए, प्रावधान- 2.48 करोड़ रूपए</p> <p>(क) उपर्युक्त में ऐरा में लोन आधार पर कार्यरत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यपालक और गैर- कार्यपालक कर्मचारियों के संबंध में वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए 31 मार्च, 2020 को एएआई को देय 11.62 करोड़ रूपए की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 11.62 करोड़ रूपए के इस वर्ष के प्रावधान और व्यय को विवरण में शामिल नहीं किया गया है।</p>	3	<p>ऐरा के टैरिफ प्रभार में 2009 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के काफी कार्मिकों को लोन आधार पर तैनात किया गया है। परंतु उनके पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई औपचारिक करार/शर्तें एवं निबंधन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। केवल वर्ष 2018 में ही ऐसा हुआ कि एएआई ने दिनांक 28.02.2018 के अपने पत्र द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान ऐरा में कार्यरत एएआई के कर्मचारियों के संबंध में सीटीसी का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसका विवरण इस प्रकार है:- (राशि लाख रूपए में)</p> <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>वित्त वर्ष</th><th>सीटीसी की राशि</th></tr><tr><td>1</td><td>2015-16</td><td>39,95,677</td></tr><tr><td>2</td><td>2016-17</td><td>98,75,869</td></tr><tr><td>3</td><td>2017-18</td><td>1,49,71,726</td></tr><tr><td></td><td>कुल</td><td>2,88,43,272/-</td></tr></table> <p>एएआई ने केवल चुनिंदा अवधि अर्थात् 2015-16 से 2017-18, 28.02.2018 तक के लिए 2.88 करोड़ रूपए का आंशिक बिल प्रस्तुत किया है। एएआई द्वारा किए गए अनंतिम दावों के बदले इसमें से 2.5 करोड़ रूपए मार्च, 2018 में जारी किए गए और बाद में 1.05 करोड़ रूपए, 1.00 करोड़ रूपए तथा 0.80 करोड़ रूपए के आंशिक भुगतान 2017-18 से 2020-21 के दौरान जारी किए गए।</p> <p>भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 23 मार्च, 2021 की अपनी ईमेल द्वारा 25.05.2009 से 28.02.2021 तक अवधि के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में अंतिम आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए 17.62 करोड़ रूपए का दावा किया। चूंकि प्राधिकरण में उनकी नियुक्ति की शर्तें एवं निबंधन अभी भी प्रक्रियाधीन है और दावे की तथ्यात्मक परिशुद्धता भी सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है इसलिए इसे आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। एएआई कामिकों की नियुक्ति संबंधी शर्तें एवं निबंधन को एक बार अंतिम रूप दे दिए जाने और एएआई तथा ऐरा के बीच राशि की सहमति हो जाने पर इसे व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाएगा।</p>	क्र. सं.	वित्त वर्ष	सीटीसी की राशि	1	2015-16	39,95,677	2	2016-17	98,75,869	3	2017-18	1,49,71,726		कुल	2,88,43,272/-
क्र. सं.	वित्त वर्ष	सीटीसी की राशि																
1	2015-16	39,95,677																
2	2016-17	98,75,869																
3	2017-18	1,49,71,726																
	कुल	2,88,43,272/-																

	(ख) ऐरा ने संयुक्त प्रचालनात्मक कार्यालय के निर्माण के लिए एएआई, ऐरा और अन्य के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (24 नवम्बर, 2016) के संदर्भ में एएआई को देय 11.03 करोड़ रूपए की देयता को दर्ज नहीं किया है। इस कारण से वर्ष 2020-21 के लिए 11.03 करोड़ रूपए की चालू देयता और जारी पूंजीगत कार्य विवरण में शामिल नहीं है।	6	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) 24.11.2016 को डीजीसीए, बीसीएस, ऐरा को और एएआईबी के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के तहत राशि जमा करके किए जाने वाले कार्य के रूप में इन सभी हितधारियों के लिए सफ़रजंग हवाईअड्डे पर एकीकृत कार्यालय भवन का निर्माण कर रहा है। हितधारी होने के कारण ऐरा को निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर एएआई को किस्तों में 18.38 करोड़ रूपए जमा कराने है। तदनुसार कार्यालय भवन में ऐरा की हिस्सेदारी संबंधी देयता को पूरा करने के लिए पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत बजट आकलन 2019-20 में 7.00 करोड़ रूपए की राशि का अनुमान किया गया था और आगे इसमें संशोधन कर संशोधित आकलन 2019-20 में 11.03 करोड़ रूपए और बजट आकलन 2020-21 में 7.35 करोड़ रूपए कर दिया गया। परंतु इस परियोजन के लिए पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा कोई निधि आंबटित नहीं की गई है और लेख संबंधी टिप्पणी के माध्यम से 18.38 करोड़ रूपए की देयता उपयुक्त ढंग से व्यक्त की गई है। फिर भी लेखापरीक्षा की टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन किए जाने के लिए नोट कर लिया गया है।
ख	<b>सहायता अनुदान</b> वर्ष 2020-21 के दौरान ऐरा को नागर विमानन मंत्रालय से 10.48 करोड़ रूपए का कुल अनुदान प्राप्त हुआ। ऐरा के पास 1 अप्रैल, 2020 को 1.75 करोड़ रूपए के अनुदान की अप्रयुक्त शेष राशि थी। इस 12.23 करोड़ रूपए के कुल अनुदान में से ऐरा 2020-21 के दौरान केवल 11.02 करोड़ रूपए की खर्च कर सका और 1.21 करोड़ रूपए की अप्रयुक्त राशि शेष बची (आंकड़े प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है)।	5	प्रस्तुत किए गए आंकड़े सही हैं।



लेखा परीक्षा की पृथक रिपोर्ट का संलग्नक		
1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता 2020-21 की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।	ऐरा की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रधान लेखा कार्यालय, नागर विमानन मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा की जाती है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन और सामाजिक दूरी संबंधी मानदंडों के कारण अप्रैल, 2021 से सभी कार्यालयों में काम ठप्प हो गया है। संभवतः इसी कारण से आंतरिक लेखा परीक्षा दल ने वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए अभी तक ऐरा कार्यालय का दौरा नहीं किया है। परंतु प्राधिकरण वर्ष 2020-21 के लिए प्राधिकरण के आंतरिक लेखा परीक्षा का समय तय करने के लिए दिनांक 07.04.2021 के पत्र द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा विंग से पहले ही अनुरोध कर चुका है। इस कार्यालय के दिनांक 08.10.2021 पत्र द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा विंग को अनुस्मारक भी भेज दिया गया है।
2.	<p><b>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता</b></p> <p>लेखापरीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियां देखी गई थी जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है :</p> <p>(i) 21,345 रूपए की परिसंपत्ति का निपटान बहियों में हिसाब में नहीं लिया गया।</p> <p>(ii) सृजित 23.93 लाख रूपए की पुरानी देयता/ प्रावधानों की समीक्षा नहीं की गई और इन्हें पर्याप्त ढंग से हिसाब में नहीं दिखाया गया।</p> <p>(iii) इसके अतिरिक्त प्रावधान को लेखाओं (अर्थात् 31 मार्च, 2021 के बाद की अवधि के लिए) में किया गया है।</p> <p>(iv) कर की छूट के लिए बैंक को निर्धारित फॉर्म में प्रस्तुत न करने के साथ-साथ टीडीएस की राशि वापस लेने के लिए कर प्राधिकरण से दावा न करना।</p>	<p>(i) टिप्पणी भावी अनुपालन के लिए नोट कर ली गई है। स्थायी परिसंपत्ति संबंधी रजिस्टर को वित्त वर्ष 2021-22 में अद्यतन कर दिया जाएगा और अपेक्षानुसार समायोजन किए जाएंगे।</p> <p>(ii) ऐरा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) वाहन के लिए भुगतान करने के लिए 23.93 लाख रूपए का प्रावधान किया है। इसके निपटान के लिए एएआई से बीजक की प्रतीक्षा इस लेखा में बकाया राशि का ब्यौरा मांगते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पत्र भेजा जाएगा ताकि चालू वित्त वर्ष में अपेक्षित प्रावधान किया जा सके।</p> <p>(iii) संगठन की पिछली पद्धति के अनुरूप प्रावधान किए गए हैं फिर भी लेखा परीक्षा टिप्पणी भावी अनुपालन के लिए नोट कर ली गई है और बढ़ते प्रावधानों को यथानुपात आधार पर किया जाएगा।</p> <p>(iv) सुधारक कार्रवाई अर्थात् धन वापसी का आवेदन चालू वित्त वर्ष में आयकर विभाग में कर दिया जाएगा। एक बार धन वापसी प्राप्त होने पर तदनुसार बहियों में समायोजन किया जाएगा।</p>
3.	<p><b>स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली</b></p> <p>वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्थायी परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।</p>	
4.	<p><b>वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली</b></p> <p>कोई वस्तु सूची नहीं है।</p>	
5.	<p><b>सांविधिक देय राशि की अदायगी में नियमितता</b></p> <p>सांविधिक देय राशि समय पर अदा की गई थी।</p>	









# ANNUAL REPORT 2020-21







## Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA)

### Annual Report 2020-21

#### 1. Introduction

Consequent to the recommendations of the Sh. Naresh Chandra Committee report, Govt. of India established Airports Economic Regulatory Authority (AERA). It is a statutory body constituted under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. AERA was established by the Government vide its notification No GSR 317 (E) dated 12.05.2009 with its Head Office at New Delhi.

#### 2. Profile of the Authority's Key Officials.



##### (a) Shri Balwinder Singh Bhullar, Chairperson

Shri Balwinder Singh Bhullar took over as the Chairperson of the Airports Economic Regulatory Authority of India on 8th July, 2019.

Shri Bhullar hails from Amritsar, Punjab and has a distinguished academic career. After completing B.Sc. (Hons.) and M.Sc. in Agricultural Sciences, he joined the Indian Administrative Services in 1986 in Uttar Pradesh Cadre.

As an IAS officer, Shri Bhullar handled several important positions in the State Government of Uttar Pradesh and Government of India, varying from Administration, Industry, Finance, Power, Urban Development, Transport, Civil Aviation, etc. In the Government of Uttar Pradesh he worked as District Magistrate of Ghaziabad & Kanpur Nagar, Municipal Commissioner of Varanasi, Joint Managing Director in UP Financial Corporation, Secretary of Irrigation & Water Resources, Principal Secretary in Departments of Transport & Finance, Member of 4th UP State Finance Commission, etc. In the Government of India, he worked as Joint Secretary to 13th Central Finance Commission, Joint Secretary, Department of Expenditure, in the Ministry of Finance, Joint Secretary and Additional Secretary in the Ministry of Civil Aviation and finally as Director General of Civil Aviation (DGCA) before superannuating from the Government Service in May, 2019.



##### (b) Shri Subrata Samanta, Member

Shri S. Samanta took charge as Member, AERA on 17th November, 2016. He holds a degree in Commerce from Kolkata University and is a Member of the Institute of Chartered Accountants of India.

Prior to joining AERA, Shri S. Samanta was working as Executive Director (JVC/Tariff) in Airports Authority of India. He joined AAI in 1985 and during his tenure in AAI has held many responsible positions in the Departments of Finance & Commercial. He was also In-charge of Tariff Division and Joint Venture Monitoring Cell in AAI.

Shri Samanta started his career in 1985 in AAI and has almost 32 years of experience in the Aviation field. He has rich experience and exposure regarding financial Management in Airport Sector, Tariff determination of Airports and P.P.P. project monitoring in the Airport Sector.



**(c) Shri Sudhir Raheja, Member**

Shri Sudhir Raheja, a Civil Engineering graduate from Delhi College of Engineering, Delhi University, took over charge as Member, AERA on 2nd July, 2018. He has vast experience in the engineering and construction sectors and has been associated with various prestigious projects including the ASIAD-82 Indoor Stadium, Delhi and the Maruti Car Manufacturing facility in Gurugram. He started his 30 year long distinguished career with Airports Authority of India as an Executive Engineer (Civil) in the year 1988 at Kolkata Airport and thereafter he served in various departments like Engineering, Vigilance and Project Monitoring & Quality Assurance. Shri Raheja became the Full-Time Member on the Board of AAI in February, 2010 as Member (Planning) till his superannuation in June, 2018. He has been conferred with various recognitions and honours during his entire career. He has represented the Airports Authority of India, on the Boards of Delhi International Airports Limited (DIAL), Mumbai International Airports Limited (MIAL) and Kempegowda International Airport-Bengaluru (BIAL) as Member; and was the Chairman of the Board of Chandigarh International Airport Limited (CHIAL), a joint venture company of AAI & State Governments of Haryana and Punjab.


Shri Raheja was relieved of his duties as Member of the Authority on attaining the age of 62 years on June 15, 2020.





### 3. Organisational structure

Organization structure of the Authority is given below:



AERA's staff comprises of officials with experience in Aviation and Finance sectors on deputation from various Central, State Services & departments/ organizations. During the period of Annual Report, AERA had a total strength of 27 employees including Chairperson, Members & Secretary.

### 4. Scope of the Regulation

4.1 The main functions of the Authority as defined in the Act are as under:

- a) To determine the tariff for the aeronautical services
- b) To determine the amount of Development Fees in respect of major airports
- c) To determine the amount of PSF levied under rule 88 of the Aircraft Rules, 1937 framed under the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934)
- d) To monitor the set performance standards relating to quality, continuity and reliability of service as may be specified by Central Government or any Authority authorized by it in this behalf.

4.2 AERA determines tariff for all aeronautical services taking into consideration the capital expenditure required to be incurred for improvement of airport facilities, timely investment in these facilities, providing a reasonable return on such investments and the cost for maintaining/improving efficient and economic operations at the airports. The Authority also considers a part of the revenue

received from services other than the aeronautical services and takes into account the concession any, offered by the Central Government in any agreement or Memorandum of Understanding or otherwise and any other factor relevant for determination of tariff.

4.3 Recently, the AERA Act 2008 has been amended by “AERA (Amendment) Act 2019” which came into effect vide Gazette Notification dated 26-09-2019 wherein the definition of “major airports” has been amended as under:

*“.....any airport which has, or is designated to have, annual passenger throughput in excess of three and a half million or any other airport as the Central Government may, by notification, specify as such.”*

**Further Section 13(1A) has been inserted as follows:**

*“Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the Authority shall not determine the tariff or tariff structures or the amount of development fees in respect of all airport or part thereof, if such tariff or tariff structures or the amount of development fees has been incorporated in the bidding document, which is the basis for award of operatorship of that airport.*

*Provided that the Authority shall be consulted in advance regarding the tariff, tariff structures of the amount of development fees which is proposed to be incorporated in the said bidding document and such tariff, tariff structures or the amount of development fees shall be notified in the official Gazette.”*

4.4 As per the provision of clause (i) of Section 2 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, as amended by AERA (Amendment) Act 2019 or as notified by Ministry of Civil Aviation under the said provision, the following airports are considered as “major airports”:-

1. Indira Gandhi International Airport, Delhi
2. Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai
3. Kempegowda International Airport, Bengaluru
4. Rajiv Gandhi international Airport, Hyderabad
5. Cochin International Airport, Kochi
6. Chandigarh International Airport, Chandigarh
7. Chennai International Airport, Chennai
8. Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata
9. Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad
10. Trivandrum International Airport, Thiruvananthapuram
11. Chaudhary Charan Singh International Airport, Lucknow
12. Jaipur International Airport, Jaipur
13. Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati
14. Calicut International Airport, Kozhikode
15. Goa International Airport, Goa
16. Pune International Airport, Pune

17. Jay Prakash Narayan International Airport, Patna
18. Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar
19. Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi
20. Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar
21. Swami Vivekananda Airport, Raipur
22. Tiruchirappalli International Airport, Tiruchirappalli
23. Mangalore International Airport, Mangaluru
24. Kannur International Airport Limited, Kannur

### 5. Tariff orders issued by the Authority

During 1st April, 2020 to 31st March, 2021, AERA has issued the following Orders based on its approach towards regulation of Airports and Aeronautical Services:-

#### Airport Tariff Orders

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
1.	Order No. 54/2020-21	In the matter of Determination of Aeronautical Tariffs for Swami Vivekananda Airport, Raipur (RPR) for the First Control Period (01.04.2020 - 31.03.2025).	18.12.2020
2.	Order No. 55/2020-21	In respect of determination of Aeronautical tariffs in respect of Tiruchirappalli International Airport (TRZ) for the First Control Period (April 1, 2020 to March 31, 2025).	22.12.2020
3.	Order No. 56/2020-21	In respect of determination of Aeronautical tariffs for Sri Guru Ram Dass Jee International Airport (ATQ), Amritsar for the First Control Period (April 1, 2019 to March 31, 2024).	24.12.2020
4.	Order No. 57/2020-21	In the matter of Determination of Aeronautical Tariffs for Indira Gandhi International Airport, Delhi (DEL) for the Third Control Period (01.04.2019 - 31.03.2024).	30.12.2020
5.	Order No. 59/2020-21	In the matter of Determination of Aeronautical Tariffs for Lal Bahadur Shastri International Airport (VNS), Varanasi for the First Control Period (01.04.2019 - 31.03.2024).	31.12.2020
6.	Order No. 64/2020-21	In the matter Of determination of Aeronautical Tariff for Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai (Bom) for the Third Control Period (01st April 2019 To 31st March 2024).	27.02.2021



**Fuel Throughput Charges (Compensation in lieu of FTC)**

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
1.	Order No. 05/2020-21	In the matter of Provision of Compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Kempegowda International Airport, Bengaluru.	19.05.2020
2.	Order No. 06/2020-21	In the matter of Provision of Compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Cochin International Airport.	19.05.2020
3.	Order No. 07/2020-21	In the matter of Provision of Compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai.	19.05.2020
4.	Order No. 10/2020-21	In the matter of Provision of Compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at AAI Goa Airport (Civil Enclave).	12.06.2020
5.	Order No. 11/2020-21	In the matter of Provision of Compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at AAI Pune Airport (Civil Enclave).	12.06.2020
6.	Order No. 12/2020-21	In the matter of Provision of Compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at AAI Vishakhapatnam Airport (Civil Enclave).	12.06.2020
7.	Order No. 17/2020-21	In the matter of provision of compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad.	01.07.2020
8.	Order No. 18/2020-21	In the matter of provision of compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Jaipur International Airport, Jaipur (JIA).	01.07.2020
9.	Order No. 20/2020-21	In the matter of provision of compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Lok priya Gopinath Bordoloi (LGB) International Airport, Guwahati.	01.07.2020
10.	Order No. 21/2020-21	In the matter of provision of compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Calicut International Airport, Calicut (CIA).	01.07.2020
11.	Order No. 22/2020-21	In the matter of provision of compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Chennai International Airport, Chennai.	02.07.2020
12.	Order No. 23/2020-21	In the matter of provision of compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Netaji Subhash Chandra Bose International Airport (NSCBI), Kolkata.	02.07.2020

13.	Order No. 24/2020-21	In the matter of provision of compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Chaudhary Charan Singh International Airport, Amausi, Lucknow (CCSIA).	02.07.2020
14.	Order No. 25/2020-21	In the matter of provision of compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Trivandrum International Airport, Thiruvananthapuram (TVM).	02.07.2020
15.	Order No. 26/2020-21	In the matter of Provision of Compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Biju Patnaik International Airport (BBI), Bhubaneswar.	09.07.2020
16.	Order No. 27/2020-21	In the matter of Provision of Compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Coimbatore Airport.	09.07.2020
17.	Order No. 28/2020-21	In the matter of Provision of Compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Devi Ahilya Bai Holkar Airport (IDR), Indore.	09.07.2020
18.	Order No. 29/2020-21	In the matter of Provision of Compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Jay Prakash Narayan International Airport (PAT), Patna	09.07.2020
19.	Order No. 32/2020-21	In the matter of Provision of Compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport, Nagpur.	21.08.2020
20.	Order No. 33/2020-21	In the matter of Provision of Compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Chandigarh International Airport Limited (Civil Enclave).	27.08.2020

### **ISP (Ground Handling)**

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
1.	Order No. 03/2020-21	In the matter of the Multi Year Tariff Proposal and Annual Tariff proposal for fourth and fifth tariff year (FY 2019-20 & 2020-21) for the second control period in respect of M/s Celebi Airport Services India Private Limited for Providing Ground Handling Services at Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad.	13.05.2020
2.	Order No. 08/2020-21	In the matter of Annual Tariff Proposal for (FY 2019-20 & FY 2020-21) for the Second Control Period (FY 2016-17 to FY 2020-21) in respect of M/s Air India SATS Airport Services Private Limited (AISATS) for providing Ground Handling services at Kempegowda International Airport (KIA), Bangalore.	28.05.2020

**ISP (Cargo)**

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
1.	Order No. 01/2020-21	In the matter the Annual Tariff Proposal for Tariff Year 4 and Tariff Year 5 (01.04.2019 to 31.03.2020 & 01.04.2020 to 31.03.2021) of the second control period (01.04.2016-31.03.2021) of M/s Kerala State Industrial Enterprises Ltd. (KSIEL) for providing Cargo Handling services at Calicut International Airport.	03.04.2020
2.	Order No. 02/2020-21	Approval for regularization of tariff as determined by AERA vide Order No. 22/2018-19 dated 04.10.2018 for FY2020-21 in respect of M/s Delhi Cargo Service Center Pvt. Ltd. (DCSC) at Indira Gandhi International Airport, New Delhi.	06.05.2020
3.	Order No. 16/2020-21	In the matter of Determination of tariffs for AAI Cargo Logistics & Allied Services Company Ltd.(AAICLAS) in respect of Chennai International Airport, Chennai for providing Cargo Handling & Courier Cargo Handling for the First Control Period (01.04.2019 to 31.03.2024).	29.06.2020
4.	Order No. 34/2020-21	In the matter of determination of tariffs for AAI Cargo Logistics & Allied Service Company Limited for providing Cargo Services at Jay Prakash Narayan International Airport, Patna for the First Control Period (FY 2019-20 to FY 2023-24).	01.09.2020
5.	Order No. 35/2020-21	In the matter of determination of tariffs for AAI Cargo Logistics & Allied Service Company Limited for providing Cargo Handling Services at Pune International Airport for the First Control Period (FY 2019-20 to FY 2023-24).	01.09.2020
6.	Order No. 36/2020-21	In the matter of determination of tariffs for AAI Cargo Logistics & Allied Service Company Limited for providing Cargo Handling Services at Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar for the First Control Period (FY 2019-20 to FY 2023-24).	01.09.2020
7.	Order No. 37/2020-21	In the matter of determination of tariffs for AAI Cargo Logistics & Allied Service Company Limited for providing Cargo Handling Services at Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar for the First Control Period (FY 2019-20 to FY 2023-24).	01.09.2020
8.	Order No. 38/2020-21	In the matter of determination of tariffs for AAI Cargo Logistics & Allied Service Company Limited for	01.09.2020



		providing Cargo Handling Services at Goa International Airport for the First Control Period (FY 2019-20 to FY 2023-24).	
9.	Order No. 39/2020-21	In the matter of determination of tariffs for AAI Cargo Logistics & Allied Service Company Limited for providing Cargo Handling Services at Lokpriya Gopinath Bordoloi International, Guwahati for the First Control Period (FY 2019-20 to FY 2023-24).	01.09.2020
10.	Order No. 40/2020-21	In the matter of determination of tariffs for AAI Cargo Logistics & Allied Service Company Limited for providing Cargo Handling Services at Jaipur International Airport for the First Control Period (FY 2019-20 to FY 2023-24).	01.09.2020
11.	Order No. 41/2020-21	In the matter of determination of tariffs for AAI Cargo Logistics & Allied Service Company Limited for providing Cargo Handling Services at Chaudhary Charan Singh International, Lucknow for the First Control Period (FY 2019-20 to FY 2023-24).	01.09.2020
12.	Order No. 42/2020-21	In the matter of determination of tariffs for AAI Cargo Logistics & Allied Service Company Limited for providing Cargo Handling Services at Trivandrum International Airport for the Control Period (FY 2019-20 to FY 2023-24).	01.09.2020
13.	Order No. 43/2020-21	In the matter of determination of tariffs for AAI Cargo Logistics & Allied Service Company Limited for providing Cargo Handling Services at Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi for the First Control Period (FY 2019-20 to FY 2023-24).	01.09.2020
14.	Order No. 45/2020-21	In the matter of determination of tariff for AAI Cargo Logistics & Allied Service Company Limited providing Cargo Handling Services at Mangalore International Airport for the First Control Period (FY 2019-20 to FY 2023-24).	17.09.2020
15.	Order No. 60/2020-21	In the matter of Determination of Tariff for AAI Cargo Logistics & Allied Services Company Ltd.(AAICLAS) for providing Cargo Handling Services at Netaji Subhash Chandra Bose International Airport(NSCB), Kolkata, for the First Control Period From 01.04.2019 to 31.03.2024.	31.12.2020

**Interim Arrangement for extension**

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
1.	Order No. 04/2020-21	In the matter of Order No. 33/2019-20 dated 24.03.2020 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services provided by the Independent Service providers of Cargo facility, Ground Handling and Supply of Fuel to the aircraft -Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs for the First Control Period.	13.05.2020
2.	Order No. 09/2020-21	In the matter of Order No. 20/2019-20 dated 03.01.2020 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services provided by Independent Service providers of Cargo facility, Ground Handling and Supply of Fuel to the aircraft - Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs beyond 30.06.2020 for the Second Control Period.	01.06.2020
3.	Order No. 13/2020-21	In matter of Order No. 31/2019-20 dated 20.03.2020 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services provided by Delhi International Airport Private Limited (DIAL) - Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs beyond 30.06.2020 for the 3rd Control Period.	18.06.2020
4.	Order No. 14/2020-21	In the matter of Order No. 28/2019-20 dated 26.02.2020 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services provided by Airport Operators - Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs beyond 30.06.2020 for the First Control Period.	18.06.2020
5.	Order No. 15/2020-21	In the matter of Order No. 19/2018-19 dated 19.09.2018 regarding Regulation of Into Plane Services' provided by Indian Oil Skytanking Pvt Ltd (IOSL) at Delhi Airport to continue the levy of existing tariffs beyond 31.07.2020 for the 5th tariff year of the Second Control Period.	25.06.2020
6.	Order No. 19/2020-21	In the matter of Order no. 20/2018-19 dated 27.09.2018 regarding regulation of Into Plane Services provided by Bharat Stars Services (Delhi) Private Limited at Delhi Airport to continue the levy of existing tariffs beyond 31.07.2020 for the 5th Tariff Year of the 2nd control period.	01.07.2020
7.	Order No. 30/2020-21	In the Matter of approval for tariff for handling International Courier Cargo to M/s CSC (On interim basis).	31.07.2020

8.	Order No. 31/2020-21	In the matter of Order No. 08/2019-20 dated 26.09.2019 regarding Economic Regulation of Aeronautical Service provider of Cargo facility – Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs beyond 31.03.2020 for the Second Control Period (GSEC, Cargo at Ahmedabad).	13.08.2020
9.	Order No. 44/2020-21	In the matter of Economic Regulation of Cargo Operations provided by Kannur International Airport Limited (KIAL) - Ad Hoc Tariff Order for Cargo Services.	03.09.2020
10.	Order No. 46/2020-21	In the matter of Order No. 30/2019-20 dated 20.03.2020, 13/2020-21 dated 18.06.2020, 14/2019-20 dated 18.06.2020, 33/2019-20 dated 24.03.2020, and 36/2018-19 dated 18.12.2018 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services provided by Airport Operators 1 Independent Service Provider (s) of Cargo, Ground Handling and Supply of Fuel to the aircraft -Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs beyond 30.09.2020 for the Relevant Control Period.	29.09.2020
11.	Order No. 47/2020-21	In the matter of Order No. 07/2020-21 dated 19.05.2020 regarding Provisions of compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Mumbai International Airport Private Limited (MIAL) -Interim arrangement to continue the levy of existing "ad hoc charge per Landing" beyond 30.09.2020.	08.10.2020
12.	Order No. 48/2020-21	In the matter of Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs in respect of Mangaluru International Airport vide Order No. 46 /2020-21 dated 29th September, 2020, regarding economic regulation of aeronautical services provided by the Airport Operator, Adani Mangaluru International Airport limited with effect from 31.10.2020 to 31.03.2021 or till the determination of tariffs for the First Control Period, whichever is earlier.	29.10.2020
13.	Order No. 49/2020-21	In the matter of arrangement to continue to levy the existing tariffs in respect of Chaudhary Charan Singh International (CCSI) Airport, Lucknow, vide Order No. 37/2018-19 dated 16.02.2018 and Order NO.24/2020-21 dated 02.07.2020 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services provided by the Airport Operator with effect from 02.11.2020 to 31.03.2021.	29.10.2020



14.	Order No. 50/2020-21	In the matter of Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs beyond 31.10.2020 in respect of M/s CSC vide order no 30/2020-21 dated 31.07.2020, regarding Courier Cargo services at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSMIA), Mumbai.	29.10.2020
15.	Order No. 51/2020-21	In the matter of arrangement to continue to levy the existing tariffs in respect of Adani Lucknow International Airport Ltd (ALIAL) for Cargo Handling Services at Chaudhary Charan Singh International (CCSI) Airport, Lucknow.	04.11.2020
16.	Order No. 52/2020-21	In the matter of arrangement to continue to levy of existing tariffs (Aeronautical charges and Domestic Cargo Handling charges) in respect of Sardar Vallbhbhai Patel International Airport (SVPIA), Ahmedabad, vide Order No. 14/2018-19 dated 23.07.2018, Order N0.17/2020-21 dated 01.07.2020 and Order no. 27/2018-19 dated 14.11.2018, with regard to economic regulation of Aeronautical Services provided by the Airport Operator, Adani Ahmedabad International Airport Ltd. (AAIAL) with effect from 07.11.2020 to 31.03.2021.	06.11.2020
17.	Order No. 53/2020-21	In the matter of Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs beyond 30.11.2020 in respect of M/s Cargo Service Centre (CSC) vide order no 50/2020-21 dated 29.10.2020, regarding Courier Cargo services at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSMIA), Mumbai.	27.11.2020
18.	Order No. 58/2020-21	In the matter of Order no 46/2020-21 dated 29.09.2020 and Order No. 53/2020-21 dated 27.11.2020 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services provided by Airport Operators / Independent Service Provider (s) of Cargo facility, Ground Handling and Supply of Fuel to the aircraft – Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs beyond 31.12.2020 for the Relevant Control Period.	30.12.2020
19.	Order No. 61/2020-21	In the matter of Order No. 47/2020-21 dated 08.10.2020 regarding Provisions of compensation in lieu of Fuel Throughput Charges at Mumbai International Airport Private Limited (MIAL) – Interim arrangement to continue the levy of existing “ad hoc charge per Landing” beyond 31.12.2020.	13.01.2021

20.	Order No. 62/2020-21	In the matter of order no 58/2020-21 dated 30.12.2020 and 61/2020-21 dated 13.01.2021 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services provided by Airport Operators / Independent Service Provider (s) of Cargo facility, Ground Handling and Supply of Fuel to the aircraft - Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs beyond 31.01.2021 for the Relevant Control Period.	29.01.2021
21.	Order No. 63/2020-21	In the matter of Order No. 62/2020-21 dated 29.01.2021 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services at Mumbai International Airport Private Limited (MIAL) Interim arrangement to continue the levy of existing Aeronautical tariff including “ad hoc charge per Landing” in lieu of discontinuation of FTC beyond 15.02.2021 for the 3rd Control Period.	15-02-2021
22.	Order No. 65/2020-21	Ad hoc Extension of existing Tariffs w.e.f. 01.04.2021 to 30.09.2021 for Bangalore, Hyderabad, Cochin, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Pune, Goa, Calicut, Guwahati, Trivandrum, Jaipur, Ahmedabad, Lucknow, Mangaluru Airports, pending tariff determination for next control period.	24.03.2021
23.	Order No. 66/2020-21	Extension of levy of Development Fee (DF) for Project /Metro Work at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai to cover deficit in collection of amount sanctioned by AERA -Extension of period of levy of DF w.e.f. 01.04.2021 to 31.03.2022;	24.03.2021
24.	Order No. 67/2020-21	Ad hoc Extension of existing Tariffs w.e.f. 01.04.2021 to 30.09.2021 for Independent Service providers at various Airports, providing the services of Cargo Handling / Ground Handling/ Supply of Fuel to the aircraft;	25.03.2021
25.	Order No. 68/2020-21	Approval of ad-hoc tariff for the new International Express Cargo Handling Services at Rajiv Gandhi International (RGI) Airport, Hyderabad by HIAL – applicable for the period 01.04.2021 to 30.09.2021;	30.03.2021

## 6. Monitoring of Performance Standards

One of the key functions of AERA is “to monitor the set performance standards relating to quality, continuity and reliability of services as may be specified by the Central Govt. or any authority authorised by it in this behalf”. Service standards are defined for Bangalore, Hyderabad, Delhi & Mumbai Airports in the respective concession agreements.

The authority is currently relying on the ratings given by various agencies such as ACI, Skytrax etc. appointed by the airport operators to monitor the performance standards at the airports.

## 7. Court Cases in AERA

As on 31.03.2021, thirty three cases are pending in the various Courts/Tribunal in respect of various tariff orders issued by AERA. Eight (08) new cases were filed and eight (08) cases were disposed of during the year 2020-21. The details of pending cases as on 31.03.2021 are as under:

Sl. No.	Court/Tribunal	No. of cases
1.	Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT)	20
2.	Supreme Court of India	09
3.	High Court of Delhi	02
4.	High Court of Karnataka	02
	<b>Total cases</b>	<b>33</b>

## 8. Administrative & Establishment matters

### (a) Joining of New Officers

The strength of Officers in the Authority increased consequent upon joining of qualified and experienced Officers on deputation to the posts of Secretary and Deputy Chief.

### (b) Implementation of Official Language Policy of Government

All out efforts were made for implementation of the Official Language Policy of the Government in AERA. In order to create a conducive environment for doing official work in Hindi, various competitions on the occasion of National Festivals as well as Birth Anniversaries of prominent personalities were held in the office. During these events, various prizes including Hindi Books were also distributed amongst the winners.

Apart from this, Hindi Pakhwada was organized from 14th to 30th September, 2020 and various Hindi competitions were organized, in which 59 officials and staff participated with enthusiasm. Winners were awarded with cash prizes and merit certificates.

Four (4) Hindi Workshops (one in each quarter) were organized from 01.04.2020 to 31.03.2021 for the benefit of officers/employees. Officers/employees of the Authority attended the workshops with great enthusiasm.



Three (3) meetings of the Official Language Committee chaired by the Chairperson, AERA were held during the year. Hindi Incentive Scheme of government has also been implemented in the Authority with a view to motivate the officers/employees to do their maximum work in Hindi. Cash prizes amounting to a total of Rs. 12,000/- were awarded to the 4 officials who were declared winners in this scheme during the year 2020-21.

The Parliamentary Sub-Committee for Official Language did inspection of AERA's working for promotion of the Official Language in accordance with the Government's Policy in VigyanBhawan, New Delhi on 29th October, 2020. The Committee appreciated Authority's works in the Official Language and found it to be 'Satisfactory'.

### **(c) Women Welfare including Gender Budgetary Data**

AERA had 12 Women employees comprising of officers/staff on deputation from various Central/State Government Organizations, loan basis from AAI and support staff working on outsourced basis. Adequate women welfare amenities have been made available in the office premises.

### **(d) Public Grievance Redressal Machinery**

The Authority is registered with the Central Public Grievances portal of the Department of Administrative Reforms & Public Grievances and grievances are addressed within the stipulated time.

### **(e) Pollution Control**

The Authority encourages environmental friendly measures in Airports such as use of solar/renewable energy, water harvesting, recycling of water etc.

### **(f) SC/ST and OBC representation as on 31.03.2021.**

The Authority recruits officers & staff of AERA on deputation basis only and hence reservation policy is not directly applicable. However, officers and staff of AERA have sufficient representation of SC, ST and OBC categories.

### **(g) Facilities for differently abled persons.**

AERA is housed in a rented building belonging to Air India. Washrooms have been made disabled friendly by making them accessible through ramps and support handles. AERA Website is disabled friendly.

### **(h) Major Achievements**

During the Financial Year 2020-21, AERA determined tariff for 06 Major Airports. Out of these, 02 Tariff Orders were issued for the JV Airports at Delhi (Airport Operator, DIAL) & Mumbai (Airport Operator MIAL) for the 3rd Control Period. Further, 04 AAI managed airports at Varanasi, Amritsar, Raipur and Trichy, identified by the GoI for Privatization under PPP mode, were notified by Ministry of Civil Aviation as 'major' airports and AERA was asked to determine tariff for the same for their 1st Control Period.

The Government of India had abolished Fuel Throughput Charges (FTC) across all airports in the country in January 2020. AERA determined compensatory charges in the form of additional landing charges/UDF, in lieu of the abolished FTC for all the Major Airports and issued 20 Tariff Orders during the FY 2020-21.

During the period of the Report, the Authority had also determined tariff for 22 Independent Service Providers at the various Major Airports providing services in Cargo Handling, Ground Handling and Fuel Supply (Cargo Handling-18, Ground Handling-02 and Fuel Supply-02).

AERA had also conducted independent Studies through reputed Institutions and Consultants to determine the Cost of Equity, Efficient O&M Costs, and, Assets Allocation, for Delhi & Mumbai Airports as part of their tariff determination process.

## 9. Budget

AERA receives its funding through Grants-in-Aid from the Government. During FY 2020-21, a sum of Rs.10.48 crores was received by AERA through the Ministry of Civil Aviation. AERA does not levy or collect any fee / charges for its services.

## 10. Regulatory Advocacy and protection of interest of users

The Authority's officials participate in seminars / workshops to disseminate information on the functions and activities of the regulatory philosophy of AERA. AERA also involves with the Forum of Regulators to keep abreast of developments in other Regulatory Authorities.

## 11. Capacity Building

The Authority encourages and nominates its officers and staff for participation in various Training Programmes/ Seminars/ Workshops relevant to functioning of the Authority.

## 12. Accounts & Audit

Income & Expenditure Account for the FY 2020-21 and Balance Sheet as on March 31, 2021 are enclosed.















# ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS 2020-21







**FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**  
**BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021**

(AMOUNT Rs.)			
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS / CAPITAL FUND	1	-17,428,394.48	-16,655,293.00
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUND	3	-	-
SECURED LOANS BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	33,982,354.00	37,108,883.00
<b>TOTAL</b>		<b>16,553,959.52</b>	<b>20,453,590.00</b>
<b>ASSETS</b>			
FIXED ASSETS	8	50.00	21.00
INVESTMENT-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENT-OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	16,553,909.52	20,453,569.00
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)		-	-
<b>TOTAL</b>		<b>16,553,959.52</b>	<b>20,453,590.00</b>
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24	-	-
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25	-	-

On behalf of management of  
 AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

Name: Col MANU SOODEN  
 Designation: SECRETARY

  
**MANU SOODEN**  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)



**FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021**

		(AMOUNT Rs.)	
	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>			
INCOME FROM SALES / SERVICES	12	-	-
GRANTS / SUBSIDIES	13	103,556,548.00	108,800,000.00
FEES / SUBSCRIPTIONS	14	-	-
INCOME FROM INVESTMENTS	15	-	-
(INCOME ON INVEST. FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUND TRANSFERRED TO FUND)		-	-
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	16	-	-
INTEREST EARNED	17	83,960.00	-
OTHER INCOME	18	21,355.00	79,161.00
INCREASE /(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS	19	-	-
<b>TOTAL (A)</b>		<b>103,661,863.00</b>	<b>108,879,161.00</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
ESTABLISHMENT EXPENSES	20	46,126,509.48	35,111,538.00
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	21	58,308,455.00	60,089,935.00
DEPRECIATION	8	-	-
EXPENDITURE ON GRANTS AND SUBSIDIES	22	-	-
INTEREST	23	-	-
<b>TOTAL (B)</b>		<b>104,434,964.48</b>	<b>95,201,473.00</b>
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		(773,101.48)	13,677,688.00
Transfer to Special Reserve (Specify each)		-	-
Transfer to / from General Reserve		-	-
<b>BALANCE BEING SURPLUS /(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS /CAPITAL FUND</b>		<b>(773,101.48)</b>	<b>13,677,688.00</b>
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

On behalf of management of  
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

Name: Col MANU SOODEN  
Designation: SECRETARY



**MANU SOODEN**  
Secretary  
Airports Economic Regulatory Authority of India  
(Ministry of Civil Aviation)

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

			(AMOUNT Rs.)		
RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>I. Opening Balances</b>			<b>I. Expenses</b>		
a) Cash in hand			a) Establishment Expenses (corresponding to schedule 20)	40,169,261.48	27,447,896.00
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses (corresponding to schedule 21)	59,127,220.00	61,520,394.00
i) in current accounts (Schedule 11)	18,964,014.00	7,853,499.00	Advance Payments to Vendors /Employees	52,000.00	827,171.00
ii) in deposit accounts					
iii) in savings accounts					
<b>II. Grants Received</b>			<b>II. Payment made against funds for various projects</b>	-	-
a) From Government of India (Schedule 13)	104,800,000.00	108,800,000.00	(Name of the fund for project should be shown along with the particulars of payments made for each project)		
b) From State Government	-	-			
c) From other sources (details)	-	-			
(grant for capital & revenue exp to be show separately)					
<b>III. Income on Investments from</b>			<b>III. Investments and deposits made</b>		
a) Earmarked/Endow. Funds			a) Out of Earmarked/Endowment funds	-	-
b) Own funds (other investment)	-	-	b) Out of Own Funds(Investments-Others)	-	-
<b>IV. Interest Received</b>			<b>IV. Expenditure on Fixed Assets &amp; Capital Work -in-progress</b>		
a) On Bank Deposits	73,727.00	-	a) Purchase of Fixed Assets	1,243,452.00	1.00
b) Loans, Advances etc.	-	-	b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-
<b>V. Other Income (Schedule 18)</b>	21,355.00	79,161.00	<b>V. Refund of surplus money/Loans</b>		
			a) To the Government of India	-	-
			b) To the State Government	-	-
			c) To the Other providers of fund	-	-
			<b>VI. Finance Charges</b>		
<b>VI. Amount Borrowed</b>	-	-	<b>Vii. Other Payments(Specify)</b>		
<b>VII. Any other receipts</b>	790,857.00	-	a) Duties and Taxes	8,984,398.00	7,973,184.00
			<b>VIII. Closing Balances</b>		
			a) Cash in hand		
			b) Bank Balances (schedule 11)		
			i) in current accounts	-376,546.00	18,964,014.00
			ii) in deposits accounts	15,450,167.52	-
			iii) in savings Accounts	-	-
<b>Total</b>	<b>124,649,953.00</b>	<b>116,732,660.00</b>	<b>Total</b>	<b>124,649,953.00</b>	<b>116,732,660.00</b>

On behalf of management of  
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

Name: Col MANU SOODEN  
Designation: SECRETARY

  
**MANU SOODEN**  
Secretary  
Airports Economic Regulatory Authority of India  
(Ministry of Civil Aviation)

## FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

		(AMOUNT Rs.)	
SCHEDULE 1- CORPUS / CAPITAL FUND	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Balance as at the beginning of the year		-16,655,293.00	-30,332,981.00
Add : Contributions towards Corpus/Capital Fund		-	-
Add/ (Deduct) : Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account		-773,101.48	13,677,688.00
<b>BALANCE AT THE YEAR END</b>		<b>-17,428,394.48</b>	<b>-16,655,293.00</b>

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>1. Capital Reserve</b>			
As per last Account		-	-
Addition during the year		-	-
Less : Deduction during the year		-	-
<b>2. Revaluation Reserve</b>			
As per last Account		-	-
Addition during the year		-	-
Less : Deduction during the year		-	-
<b>3. Special Reserve</b>			
As per last Account		-	-
Addition during the year		-	-
Less : Deduction during the year		-	-
<b>4. General Reserve</b>			
As Per last Account		-	-
Addition during the year		-	-
Less : Deduction during the year		-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

SCHEDULE 3 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Opening Balance of the Funds		-	-
b) Additions to the Funds			
i) Donations/Grants		-	-
ii) Income from investments made on account of funds		-	-
iii) Other additions		-	-
<b>Total (a+b)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
c) Utilisation of Funds			
i) Capital Expenditure			
- Fixed Assets		-	-
- Others		-	-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
ii) Revenue Expenditure			
- Salaries, Wages and allowances etc.		-	-
- Rent		-	-
- Other Administrative expenses		-	-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total (C)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b-c)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



**MANU SOODEN**  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)



## FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government		-	-
2. State Government (Specify)		-	-
3. Financial Institutions			
a) Terms Loans		-	-
b) Interest accrued and due		-	-
4. Banks :			
a) Terms Loans		-	-
Interest accrued and due		-	-
b) Other Loans (Specify)		-	-
Interest accrued and due		-	-
5. Other Institutions and agencies		-	-
6. Debentures and bonds		-	-
7. Others (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

Note : Amount due within one year

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government		-	-
2. State Government (Specify)		-	-
3. Financial Institutions		-	-
4. Banks :			
a) Terms Loans		-	-
b) Other Loans (Specify)		-	-
5. Other Institutions and agencies		-	-
6. Debentures and bonds		-	-
7. Fixed Deposits		-	-
8. Others (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

Note : Amount due within one year

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		-	-
b) Others		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

  
**MANU SOODEN**  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

## FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>A) CURRENT LIABILITIES</b>			
1. Acceptances		-	-
2. Sundry Creditors :			
a) For Goods		-	-
b) Others	1	7,519,625.00	7,216,543.00
3. Advances Received		-	-
4. Interest accrued but not due on :			
a) Secured Loans/ borrowings		-	-
b) Unsecured Loans/ borrowings		-	-
5. Statutory Liabilities :			
a) Over due		-	-
b) Others	2	637,345.00	-
6. Other Current Liabilities	3	1,058,751.00	75,150.00
7. Deferred Grant Income (Refer Foot Note)		29.00	-
<b>TOTAL (A)</b>		<b>9,215,750.00</b>	<b>7,291,693.00</b>
<b>B) PROVISIONS</b>			
1. For Taxation		-	-
2. Gratuity		-	-
3. Superannuation/Pension		-	-
4. Accumulated Leave Encashment		-	-
5. Trade Warranties/Claims		-	-
6. Other	4	24,766,604.00	29,817,190.00
<b>TOTAL (B)</b>		<b>24,766,604.00</b>	<b>29,817,190.00</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>33,982,354.00</b>	<b>37,108,883.00</b>

## Foot Note:

Opening balance at the beginning of the year

-

Grant received during the year

1,243,452.00

Grant amortized during the year & netted off with the Fixed Assets

1,243,423.00

Closing balance at the end of the year

29.00

  
**MANU SOODEN**  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)


80

## FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AT 31.03.2021

Schedule-8

DESCRIPTION	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK	
	Cost/Valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deduction during the year	Cost / Valuation at the end year	As at the beginning of the year	On Addition s during the year	On Deduction s during the year	Total up to the year end
<b>A. FIXED ASSETS</b>								
<b>1. LAND</b>								
a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. BUILDINGS</b>								
a) On Freehold Land	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-
b) On Leasehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. PLANT MACHINERY &amp; EQUIPMENT</b>								
<b>4. VEHICLES</b>	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-
<b>5. FURNITURE, FIXTURES</b>	3.00	2.00	-	5.00	-	-	-	-
<b>6. OFFICE EQUIPMENT</b>	8.00	4.00	-	12.00	-	-	-	-
<b>7. COMPUTER/PERIPHERALS</b>	8.00	9.00	-	17.00	-	-	-	-
<b>8. ELECTRIC INSTALLATIONS</b>	-	14.00	-	14.00	-	-	-	-
<b>9. LIBRARY BOOKS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. TUBEWELLS &amp; W SUPPLY</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11. OTHER FIXED ASSETS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OF CURRENT YEAR</b>	21.00	29.00	-	50.00	-	-	-	-
<b>PREVIOUS YEAR</b>	20.00	1.00	-	21.00	-	-	-	-
<b>B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS</b>								
<b>TOTAL</b>	21.00	29.00	-	50.00	-	-	-	-

  
**MANU SOODEN**  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)




## FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 9: INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. In Government Securities		-	-
2. Other approved Securities		-	-
3. Shares		-	-
4. Debentures and bonds		-	-
5. Subsidiaries and joint ventures		-	-
6. Others (to be Specified)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

SCHEDULE 10: INVESTMENTS- OTHERS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. In Government Securities		-	-
2. Other approved Securities		-	-
3. Shares		-	-
4. Debentures and bonds		-	-
5. Subsidiaries and joint ventures		-	-
6. Others (to be Specified)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

  
**MANU SOODEN**  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

## FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

		(AMOUNT Rs.)	
SCHEDULE 11: CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>A.) CURRENT ASSETS</b>			
1. Inventories :			
a) Stores and Spares		-	-
b) Loose Tools		-	-
c) Stock in Trade		-	-
Finished Goods		-	-
Work-in-Progress		-	-
Raw Materials		-	-
2. Sundry Debtors :			
a) Debts Outstanding for a period exceeding Six months		-	-
b) Others		-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)		+	+
4. Bank Balances :			
a) With Schedule Bank			
On Current Accounts		-376,546.00	18,964,014.00
On Deposit Accounts (includes margin money)		15,450,167.52	-
On Savings Accounts		-	-
b) With non Schedule Bank			
On Current Accounts		-	-
On Deposit Accounts (includes margin money)		-	-
On Savings Accounts		-	-
5. Post Office Savings Accounts		-	-
<b>TOTAL ( A )</b>		<b>15,073,621.52</b>	<b>18,964,014.00</b>
<b>B.) LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>			
1. LOANS :			
a) Staff		-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity		-	-
c) Other (Specify)		-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind for value to be received :			
a) On Capital Account (Airport Authority of India)		-	-
b) Prepayments		-	-
c) Others	5	1,480,288.00	1,489,555.00
3. Income Accrued :			
a) On Investments from Earmarked / Endowment Fund		-	-
b) On Investment - Others		-	-
c) On Loans and Advances		-	-
d) Others		-	-
(includes income due unrealized Rs.....)			
4. Claim Receivable :		-	-
<b>TOTAL ( B )</b>		<b>1,480,288.00</b>	<b>1,489,555.00</b>
<b>TOTAL ( A+B )</b>		<b>16,553,909.52</b>	<b>20,453,569.00</b>

  
**MANU SOODEN**  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

## FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

## SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

(AMOUNT Rs.)			
SCHEDULE 12: INCOME FROM SALES / SERVICES	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Income from Sales			
a) Sale of Finished Goods		-	-
b) Sale of Raw Material		-	-
c) Sale of Scraps		-	-
2. Income from Services			
a) Labour & Processing Charges		-	-
b) Professional / Consultancy Services		-	-
c) Agency Commission and brokerage		-	-
d) Maintenance Services (Equipment / property)		-	-
e) Other (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

SCHEDULE 13: GRANTS / SUBSIDIES	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
1. Central Government (Refer Foot Note)		103,556,548.00	108,800,000.00
2. State Government (s)		-	-
3. Government Agencies		-	-
4. Institutions / Welfare Bodies		-	-
5. International Organisations		-	-
6. Others (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		103,556,548.00	108,800,000.00

## Foot Note:

Irrevocable Grants &amp; Subsidies Received from Central Government

104,800,000.00

108,800,000.00

Fixed Assets purchased during the year

1,243,452.00

-

Net Grant

103,556,548.00

108,800,000.00

SCHEDULE 14: FEES / SUBSCRIPTIONS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Entrance Fees		-	-
2. Annual Fees / Subscriptions		-	-
3. Seminar / Program Fees		-	-
4. GPF Subscription		-	-
5. Others (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-


  
 MANU SOODEN

Secretary

Airports Economic Regulatory Authority of India  
(Ministry of Civil Aviation)



**AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AT 31.03.2021**

(Amount Rs. )

SCHEDULE 15: INCOME FROM INVESTMENTS	Investment from Earmarked		Investment Others	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(Income on investment from Earmarked / Endowment fund transferred to fund)				
1. Interest				
a) On Government Securities	-	-	-	-
b) Other Bonds / Debentures	-	-	-	-
2. Dividend				
a) On Share	-	-	-	-
b) On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (Specify)	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-

TRANSFERRED TO EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS

  
**MANU SOODEN**  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

## FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

## SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 16: INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Income from Royalty		-	-
2. Income from Publications		-	-
3. Others (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 17: INTEREST EARNED	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. On Term Deposits :			
a) With Schedule Banks		83,960.00	-
b) With non-Schedule Banks		-	-
c) With Institutions		-	-
d) Others		-	-
2. On Savings Accounts :			
a) With Schedule Banks		-	-
b) With non-Schedule Banks		-	-
c) Post Offices Savings Account		-	-
d) Others		-	-
3. On Loans :			
a) Employees / Staff		-	-
b) Others		-	-
4. Interest on Debtors and other Receivables		-	-
<b>TOTAL</b>		83,960.00	-

SCHEDULE 18: OTHER INCOME	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Profit on sale / disposal of assets :			
a) Owned assets		-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		-	-
2. Exports incentives realized		-	-
3. Fees for Miscellaneous Services	6	21,355.00	79,161.00
4. Miscellaneous Income		-	-
<b>TOTAL</b>		21,355.00	79,161.00


  
**MANU SOODEN**
  
 Secretary
   
 Airports Economic Regulatory Authority of India
   
 (Ministry of Civil Aviation)

## FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

## SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 19: INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Closing Stock			
- Finished Goods		-	-
- Work-in-progress		-	-
b) Less: Opening Stock			
- Finished Goods		-	-
- Work-in-progress		-	-
NET INCREASE / (DECREASE) (A-B)		-	-

SCHEDULE 20: ESTABLISHMENT EXPENSES	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Salaries and Wages	7	46,126,509.48	35,111,538.00
b) Allowances and Bonus		-	-
c) Contribution to Provident Fund		-	-
d) Contribution to other fund (Specify)		-	-
e) Staff Welfare Expenses		-	-
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal benefits		-	-
g) Others (Specify)		-	-
TOTAL		46,126,509.48	35,111,538.00

SCHEDULE 21: OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Purchases		-	-
b) Labour and processing expenses		-	-
c) Cartage and carriage inwards		-	-
d) Electricity and power		2,137,404.00	1,711,579.00
e) Water Charges		-	-
f) Insurance		-	-
g) Repairs and maintenance		2,420,997.00	15,930.00
h) Excise Duty		-	-
i) Rent, Rates and Taxes		10,521,364.00	10,521,361.00
j) Vehicle Running & maintenance Expenses		-	-
k) Postage, Telephone and Communication charges		420,023.00	777,782.00
l) Printing and stationery		437,673.00	146,572.00
m) Travelling and Conveyance Expenses		542,921.00	824,700.00
n) Expenses on Seminar/Workshops		-	-
o) Subscription Expenses		100,000.00	400,000.00
p) Expenses on Fees		-	-
q) Auditors Remuneration		300,000.00	797,758.00
r) Hospitality Expenses		71,065.00	603.00
s) Professional Charges		15,560,587.00	9,628,973.00
t) Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances		-	-
u) Irrecoverable Balance Written Off		-	-
v) Freight and forwarding Expenses		-	-
w) Distribution Expenses		-	-
x) Advertisement and publicity		428,240.00	2,521,003.00
y) Others	8	25,368,161.00	32,743,674.00
TOTAL		58,308,455.00	60,089,935.00

SCHEDULE 22: EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Grants given to Institutions / Organisations		-	-
b) Subsidies given to Institutions / Organisations		-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE 23: INTEREST	Annexure No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) On Fixed Loans		-	-
b) On Other Loans (Including Bank Charges)		-	-
c) Others (Specify)		-	-
TOTAL		-	-

  
**MANU SOODEN**  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)



# FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

## SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### 1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

### 2. INVENTORY VALUATION

2.1 Stores and spares (including machinery spares) are valued at cost.

2.2 Raw material, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads.


### 3. INVESTMENTS

3.1 Investments classified as “long term investments” are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

3.2 Investments classified as “Current” are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

3.3 Cost includes acquisition expansion like brokerage, transfer stamps.

### 4. EXCISE DUTY Not Applicable



MANU SOODEN  
Secretary  
Airports Economic Regulatory Authority of India  
(Ministry of Civil Aviation)

## 5. FIXED ASSETS

- 5.1 Fixed Assets are purchased out of Grants in Aid received from government. According to Accounting Standard 12, such grants are treated as Capital Grants. Grants are deducted from the gross value of the assets at the time of capitalization of assets in arriving at its book value. When the grant is equal to the cost of the asset, the asset is shown in the balance sheet at nominal value at INR 1/-.
- 5.2 Fixed assets received by way of non-monetary grants (other than towards the corpus fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital reserve.

## 6. DEPRECIATION

- 6.1 No Depreciation is charged on the assets purchased from the Grants in Aid received from Government.
- 6.2 The depreciation is charged on the Fixed assets received by way of non-monetary grants as per rates of Income Tax Act and corresponding grant is also credited to income and expenditure account from capital reserve. Assets costing Rs 5,000/- or less are fully depreciated in the year of acquisition.

## 7. MISCELLANEOUSEXPENSES

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the date it is incurred.

## 8. ACCOUNTING FOR SALES Not Applicable

## 9. GOVERNMENT GRANTS / SUBSIDIES

- 9.1 Government Grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up project are treated as Capital Reserve.
- 9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as deduction from the cost of the related assets.
- 9.3 Government Grants / Subsidy are accounted on realization basis.

  
 MANU SOODEN  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

**10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**

- 10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the time of transaction.
- 10.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing at the year end. The resultant gain/ loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability related to fixed assets, and in other case is considered to revenue.

**11. LEASE**

Lease payments of INR 1,05,21,364.00 is recognized in the Income and expenditure account for the current year.

**12. RETIREMENT BENEFITS**

- 12.1 Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) appoints the staff purely on Deputation/Short term contract basis from amongst the Official working in Central Govt/Central Public Sector undertaking/Autonomous bodies in accordance with the ' Airports Economic Regulatory Authority Employees (Number of posts and conditions of service) Rules, 2011'. AERA is not liable to pay gratuity to its employees. Hence, no provision has been made in AERA books for such benefits.
- 12.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that they are entitled to receive the benefit as at each year end.

**Place: New Delhi**

**Name: Col MANU SOODEN**  
**Designation: SECRETARY**

  
**MANU SOODEN**  
Secretary  
Airports Economic Regulatory Authority of India  
(Ministry of Civil Aviation)



# FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.3.2021

## SCHEDULE 25- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

### 1. CONTINGENT LIABILITIES

Claims against the Company/ disputed demands not acknowledged as debt:

Reimbursement of Salary to AAI	INR 11,61,68,597
--------------------------------	------------------

### 2. CAPITAL COMMITMENTS

AERA's share on account of Capital commitments is INR 18.38 crore in respect of construction of combined operational offices for DGCA, BCAS, AAIB and AERA at Safdarjung Airport, New Delhi.

### 3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amounts to Rs. Nil.

### 4. CURRENT ASSETS LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the agreement amount shown in the balance sheet.

### 5. TAXATION


In view of there being no taxable income under Income-Tax act 1961, no provision for income tax has been made

### 6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS      CURRENT YEAR      PREVIOUS YEAR

#### 6.1 Values of Imports Calculated on C.I.F. BASIS      NIL

- Purchase of finished goods
- Raw Materials & Components

NIL

  
 MANU SOODEN  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

- Capital Goods
- Stores, Spares and Consumables

## 6.2 Expenditure in foreign currency:

a) Travel	NIL	NIL
b) Remittance and interest payment to Financial institutions/banks In foreign currency-	NIL	NIL
c) Other expenditure	NIL	NIL
- commission on sales	NIL	NIL
- legal and professional expenses	NIL	NIL
- Miscellaneous expenses	NIL	NIL

## 6.3 Earnings:

Value of exports on FOB	NIL	NIL
-------------------------	-----	-----

## 6.4. Remuneration to C & AG Auditors

As Auditors	3,00,000.00	3,00,000.00
-------------	-------------	-------------

- Taxation Matters
- For Management Services
- For certification

Others	NIL	NIL
--------	-----	-----

7. Corresponding figures for the previous year has been regrouped/rearranged whenever necessary.
8. Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the balance sheet as at 31.03.2021 and the income and expenditure account for the year ended on that date.

**Place: New Delhi**

Name: Col MANU SOODEN  
Designation: SECRETARY



MANU SOODEN  
Secretary  
Airports Economic Regulatory Authority of India  
(Ministry of Civil Aviation)

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
 ANNEXURES TO BALANCE SHEET

(AMOUNT Rs.)

Annexure : 1 Sundry Creditors	CURRENT YEAR (20-21)	PREVIOUS YEAR (19-20)
Airport Authority Repair & Maintenance	7,519,595.00	7,181,863.00
MTNL	30.00	30.00
Shri Digvijay Rai	-	34,650.00
<b>Total</b>	<b>7,519,625.00</b>	<b>7,216,543.00</b>

(AMOUNT Rs.)

Annexure : 2 Statutory Liabilities	CURRENT YEAR (20-21)	PREVIOUS YEAR (19-20)
TCS	-	-
CGST GST TDS @ 1%	30,759.00	-
IGST GST TDS @ 2%	74,931.00	-
SGST GST TDS @ 1%	30,759.00	-
TDS 192A	57,543.00	-
TDS 194C	26,522.00	-
TDS 194 I	111,455.00	-
TDS 194 J	305,376.00	-
<b>Total</b>	<b>637,345.00</b>	<b>-</b>

(AMOUNT Rs.)

Annexure : 3 Other Current Liabilities	CURRENT YEAR (20-21)	PREVIOUS YEAR (19-20)
Security Deposit	1,053,751.00	70,150.00
Copier Maintenance Corporation(EMD)	5,000.00	5,000.00
<b>Total</b>	<b>1,058,751.00</b>	<b>75,150.00</b>

(AMOUNT Rs.)

Annexure : 4 PROVISIONS(Others)	CURRENT YEAR (20-21)	PREVIOUS YEAR (19-20)
P.C Sen Senior Advocate	-	3,245,000.00
Pension & Salary Provision	1,800,000.00	2,200,000.00
Profession Fee Provision	2,552,578.00	8,634,695.00
Provision for AMC	120,323.00	488,650.00
Provision for AAI Vehicle	2,393,000.00	2,393,000.00
Provision for Audit Fee	600,000.00	300,000.00
Provision for Hiring Vehicle	72,456.00	30,450.00
Provision for House Keeping Expense	60,430.00	24,726.00
Provision for Manpower Outsourcing	7,523,821.00	7,451,914.00
Property Tax Aera	1,500,000.00	1,500,000.00
Provision for Electricity & Power	2,137,404.00	-
Provision for Repair & Maintenance Charges	2,009,758.00	-
Provision for Other Expenses	197,715.00	-
Provision For Salary Exp	3,394,119.00	3,170,755.00
Provision for CEA	405,000.00	378,000.00
<b>Total</b>	<b>24,766,604.00</b>	<b>29,817,190.00</b>



**MANU SOODEN**  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)



(AMOUNT Rs.)

Annexure : 5 Advances and other amounts recoverable in cash or in kind (Others)	CURRENT YEAR (20-21)	PREVIOUS YEAR (19-20)
Airport Authority of India	755,671.00	755,671.00
Sh BS Bhullar	45,000.00	-
Jatin Lamba	-	20,000.00
Festival Advance to Employee	7,000.00	-
Arun Kumar	-	35,000.00
Airport Authority of India	541,645.00	541,645.00
Energy Efficiency Services Limited	120,739.00	120,739.00
TDS Deducted (Recoverable from ICICI)	10,233.00	-
Raju Kumar	-	16,500.00
<b>Total</b>	<b>1,480,288.00</b>	<b>1,489,555.00</b>

(AMOUNT Rs.)

Annexure : 6 Fees for Miscellaneous Services	CURRENT YEAR (20-21)	PREVIOUS YEAR (19-20)
Postal order	10.00	10.00
RTI Fees	-	10.00
Sale of old furniture and scrap	-	24,172.00
Other Receipt	-	29,969.00
GPF Sub.	-	25,000.00
Sale of Laptop	21,345.00	-
<b>Total</b>	<b>21,355.00</b>	<b>79,161.00</b>

(AMOUNT Rs.)

Annexure : 7 Salaries and Wages	CURRENT YEAR (20-21)	PREVIOUS YEAR (19-20)
Salary Exp	38,203,568.48	28,841,719.00
Employer's Contribution Towards NPS	2,666,215.00	2,438,823.00
Pension and Leave Salary	1,255,728.00	2,200,000.00
Medical Exp	897,473.00	461,789.00
LTC Charge	551,368.00	386,874.00
Employer's Contribution Towards CPF	676,597.00	257,518.00
Arrear Salary	595,065.00	163,715.00
HRA	147,168.00	131,808.00
Honorarium	133,000.00	120,000.00
Bonus	62,172.00	62,172.00
Employer Subscription of Pension	213,614.00	46,437.00
Leave Encasement	724,541.00	683.00
<b>Total</b>	<b>46,126,509.48</b>	<b>35,111,538.00</b>

(AMOUNT Rs.)

Annexure : 8 Other Administration Expenses	CURRENT YEAR (20-21)	PREVIOUS YEAR (19-20)
AMC Charges	2,031,994.00	2,069,938.00
Contract for Hiring Vehicle	739,429.00	365,400.00
Travelling Expenses	7,588.00	2,215.00
Imprest Money	134,459.00	244,722.00
Internet & Data Charges	101,048.00	8,165.00
News Paper & Magazines	99,977.00	155,441.00
OE-(Wages)	21,044,544.00	28,239,999.00
Office Expenses	875,572.00	1,477,383.00
Pantry Expenses	45,935.00	43,660.00
Refreshment Expenses	-	14,639.00
Parliamentary Rajbhasha Committee	264,820.00	-
Training Programme	22,795.00	122,112.00
<b>Total</b>	<b>25,368,161.00</b>	<b>32,743,674.00</b>

  
**MANU SOODEN**  
 Secretary  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

## SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

We have audited the attached Balance Sheet of Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA), New Delhi as at 31 March 2021 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971 read with section 35(2) of Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. These financial statements are the responsibility of the AERA's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format as prescribed by the Ministry of Finance.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Airports Economic Regulatory Authority of India as required under section 35 (1) of Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

**A. Balance Sheet**

**Corpus/Capital Fund and Liabilities**

**Current Liabilities and Provisions (Schedule 7) – Rs. 3.40 crore**

**Provision - Rs. 2.48 crore**

(a) Above does not include an amount of Rs.11.62 crore payable to AAI as on 31 March 2021 towards reimbursement of salary in respect of Executive and Non-Executives of Airports Authority of India (AAI) working in AERA on loan basis. This has resulted in understatement of provisions and expenditure for the year by Rs. 11.62 crore.


(b) AERA has not booked the liability of Rs.11.03 crore payable to AAI in terms of MoU entered (24 November 2016) between AAI, AERA and others for construction of combined operational office. This has resulted in understatement of Current liability and Capital work-in-progress for the year 2020-21 by Rs. 11.03 crore.

**B. Grants-in-Aid**

During the year 2020-21, AERA received a total grant of Rs. 10.48 crore from the Ministry of Civil Aviation. It had an unspent balance of grant of Rs. 1.75 crore as on 01 April 2020. Out of this total grant of Rs. 12.23 crore, AERA could utilize Rs. 11.02 crore only during 2020-21, leaving an unspent balance of Rs. 1.21 crore (Data as per utilisation certificate submitted to Administrative Ministry).

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
- a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Airports Economic Regulatory Authority of India as at 31 March 2021; and
- b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India



(Rina Akoijam)  
Director General of Audit (Infrastructure)  
New Delhi

Place: New Delhi  
Dated: 24 November 2021



**Annexure**

**(to the Separate Audit Report of Airports Economic Regulatory Authority of India for the year 2020-21)**

**1. Adequacy of Internal Audit System**

Internal audit has not been conducted for the period 2020-21.

**2. Adequacy of Internal Control System**

During audit, following deficiencies were noticed in internal control system which needs to be strengthened:

- (i) The disposal of the asset of Rs.21,345 not accounted in the books.
- (ii) The old liability/ provisions for Rs.23.93 lakh created was not reviewed and accounted adequately.
- (iii) Excess provision has been made in the accounts (i.e. for the period beyond 31 March 2021).
- (iv) Non-claim of refund of TDS amount from the tax authority along with non-submission of the prescribed forms to the bank for tax exemptions.

**3. System of Physical Verification of Fixed Assets**

The physical verification of fixed assets was carried out during the financial year 2020-21.

**4. System of Physical Verification of Inventory**

There was no inventory.

**5. Regularity in payment of Statutory Dues**

Statutory dues were paid on time.

Management replies to the comments of C&AG, in its separate audit report on the accounts of the Airports Economic Regulatory Authority of India for the year ended 31<sup>st</sup> March 2021.

Para No	Observation of C&AG	HM No	Reply of the Authority															
A	<p><b>Balance Sheet</b> <b>Corpus/Capital Fund and Liabilities</b> <b>Current Liabilities and Provisions</b> <b>(Schedule 7) - Rs. 3.40 crore,</b> <b>Provision-Rs.2.48 crore</b> (a) Above does not include an amount of Rs.11.62 crore payable to AAI as on 31 March 2021 towards reimbursement of salary in respect of Executive and Non-Executives of Airports Authority of India (AAI) working in AERA on loan basis. This has resulted in understatement of provisions and expenditure for the year by Rs. 11.62 crore.</p>	3	<p>Tariff division of AERA is being manned largely by the employees of Airport Authority of India working on loan basis since 2009. No formal agreement/terms and conditions have however been finalized regarding reimbursement of their wages. It was only in 2018 that AAI vide its letter dated 28.02.2018 forwarded details of CTC in respect of AAI officials working in AERA during the year 2015-16 to 2017-18, details of which are as under:- (Amt. in lakhs of Rs)</p> <table><tr><th>S. No.</th><th>Financial year</th><th>Amount of CTC</th></tr><tr><td>1</td><td>2015-16</td><td>39,95,677</td></tr><tr><td>2</td><td>2016-17</td><td>98,75,869</td></tr><tr><td>3</td><td>2017-18</td><td>1,49,71,726</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>2,88,43,272/-</td></tr></table> <p>AAI had only raised a part bill of Rs. 2.88 crore for the selective period i.e. 2015-16 to 2017-18, upto 28-02-2018. Out of this, Rs. 2.5 crore was released in March 2018 and subsequently part payments of Rs. 1.05 crore, Rs 1.00 crore and Rs. 0.80 crores were released during 2017-18 to 2020-21 against the provisional claims made by AAI. Airports Authority of India vide its mail dated 23<sup>rd</sup> March 2021, raised claim of Rs. 17.62 crore towards reimbursement of Salary in respect of its employees for the period from 25.05.2009 to 28.02.2021 on provisional basis. Since the terms and conditions of their engagement with the Authority are still under process and the factual accuracy of the claim is also required to be ascertained, the same has been shown as contingent liabilities. The same will be accounted as expenditure once the terms and conditions regarding engagement of AAI personnel are finalized and the amount is agreed upon between AAI and AERA.</p>	S. No.	Financial year	Amount of CTC	1	2015-16	39,95,677	2	2016-17	98,75,869	3	2017-18	1,49,71,726		TOTAL	2,88,43,272/-
S. No.	Financial year	Amount of CTC																
1	2015-16	39,95,677																
2	2016-17	98,75,869																
3	2017-18	1,49,71,726																
	TOTAL	2,88,43,272/-																
	(b) AERA has not booked the liability of Rs.11.03 crore payable to AAI in terms of MoU entered (24 November 2016) between AAI, AERA and others for construction of combined	6	Airports Authority of India (AAI) is constructing integrated office building at Safdarjung Airport for DCGA, BCAS, AERA and AAIB as a deposit work under MoU signed with all these stakeholders on															

	operational office. This has resulted in understatement of Current liability and Capital work-in-progress for the year 2020-21 by Rs. 11.03 crore.		<p>24.11.2016. AERA, being a stakeholder is required to deposit Rs. 18.38 crore with AAI in instalments based on the progress of construction work.</p> <p>Accordingly, an amount of Rs. 7.00 crore was projected in BE 2019-20 and further revised as Rs. 11.03 crore in RE 2019-20 and Rs. 7.35 crore in BE 2020-21 under Capital Head for meeting out the AERA's liability towards share in the office building. However, no fund allocation has ever been made by the Ministry of Civil Aviation under Capital head for the purpose and the liability of Rs. 18.38 crore has been disclosed appropriately through Notes on Accounts. However, the observation of the Audit has been noted for future compliance.</p>
B	<b>Grants-in-Aid</b> During the year 2020-21, AERA received a total grant of Rs. 10.48 crore from the Ministry of Civil Aviation. It had an unspent balance of grant of Rs. 1.75 crore as on 01 April 2020. Out of this total grant of Rs. 12.23 crore, AERA could utilize Rs. 11.02 crore only during 2020-21, leaving an unspent balance of Rs. 1.21 crore (Data as per utilization certificate submitted to Administrative Ministry)	5	The figures submitted are correct.




ANNEXURE TO SEPARATE AUDIT REPORT	
1.	<p><b>Adequacy of Internal Audit system</b> Internal audit has not been conducted for the period 2020-21</p> <p>The Internal Audit of AERA is conducted by Internal Audit Party of Pr. Accounts Office, Ministry of Civil Aviation. Due to nationwide Covid-19 lockdown and social distancing norms since Apr 2021, the entire government offices have come to a standstill position. Probably, Internal Audit Party has therefore not yet visited AERA office for conducting the Annual Internal Audit. However, the Authority has already requested Internal Audit Wing vide letter dated 07.04.2021 to schedule the Internal Audit of the Authority for the year 2020-21. Reminder letter to Internal Audit wing has also been sent vide this office letter dated 8-10-2021.</p>
2.	<p><b>Adequacy of Internal Control System</b> During audit, following deficiency were noticed in internal control system which needs to be strengthened.</p> <p>(i) The disposal of the asset of Rs. 21,345 not accounted in the books.</p> <p>(ii) The old liability/provisions for Rs. 23.93 lakh created was not reviewed and accounted adequately.</p> <p>(iii) Excess provision has been made in the accounts (i.e. for the period beyond 31 March 2021)</p> <p>(iv) Non-claim of refund of TDS amount from the tax authority along with non-submission of the prescribed forms to the bank for tax exemptions.</p> <p>(i) Observation has been noted for future compliance. Fixed assets register will be updated in FY 2021-22 and adjustments will be made as required.</p> <p>(ii) AERA had created a provision of Rs. 23.93 lakh for payment towards Airport Authority of India (AAI) vehicle. Invoice from AAI is awaited for disposal of same. Correspondence shall be done with Airport Authority of India seeking details of the outstanding amount on this account so that requisite provisioning can be done in the current financial year.</p> <p>(iii) The provisions have been made in line with the past practice of the organization. The observation of Audit has however been noted for future compliance and going forward provisions will be made on pro-rata basis.</p> <p>(iv) Corrective action i.e., refund application will be made with the Income tax department in current financial year. Once refund is received, adjustment in books will be made accordingly</p>
3.	<p><b>System of Physical Verification of fixed assets.</b> The physical verification of fixed assets was carried out during the financial year 2020-21.</p>
4.	<p><b>System of Physical Verification of Inventory.</b> There was no inventory</p>
5.	<p><b>Regularity in payment of statutory dues.</b> Statutory due were paid on time</p>







# Major Indian Airports



## PPP/JVC Airports

Delhi  
Mumbai  
Hyderabad  
Bengaluru  
Cochin  
Kannur  
Lucknow  
Mangalore  
Ahmedabad  
\*Chandigarh

Total : 10

## AAI Airports

Calicut  
Chennai  
Kolkata  
Bhubaneswar  
Patna  
#Jaipur  
Guwahati  
Trivandrum  
\*Pune  
Goa

Total : 10

## Notified By Government

Srinagar  
Shirdi

Total : 2

## AAI Airports, But Notified As Major Airports By GoI.

Amritsar  
Varanasi  
Raipur  
Trichy

Total : 4



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
(नागर विमानन मंत्रालय के आधीन सांविधिक निकाय)  
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स,  
सफ्दरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110003

Government of India  
Airports Economic Regulatory Authority of India  
(A statutory body under Ministry of Civil Aviation)  
AERA Building, Administrative Complex, Safdarjung Airport, New Delhi - 110003  
[www.aera.gov.in](http://www.aera.gov.in)